

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****ORIGINAL APPLICATION NO. 435 OF 2023****IN THE MATTER OF:**

Jasbir Singh

...Applicant

VERSUS

State of U.P. & Ors.

...Respondents

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7 (S.J.P GLOBAL LIMITED)**FILED BY:**
MR. SAMAKSH GOYAL
MS. RANU PUROHIT**ADVOCATES FOR THE RESPONDENT NO. 7**A-405, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi – 110024

Email: office.ssgoyal@gmail.com,

adv.ranupurohit@gmail.com

(M): +91-9560028080, 9560457997

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page Nos.
1.	Reply on behalf of Respondent No. 7 (S.J.P Global Limited)	1-15
2.	<u>ANNEXURE R1</u> True copy of the brochure of the project.	16-19
3.	<u>ANNEXURE R2</u> True copy of the consent to establish (NOC) letter dated 15.02.2012.	20-21
4.	<u>ANNEXURE R3</u> True copy of the present day photographs of the project.	22-53
5.	<u>ANNEXURE R4</u> True copy of the order permitting conversion of subject land for non-agricultural.	54-57
6.	<u>ANNEXURE R5</u> True copy of the show cause notice dated 13.09.2023 issued by UPPCB.	58-59
7.	<u>ANNEXURE R6</u> True copy of the email/speed post/ letter dated 07.10.2023.	60-62
8.	<u>ANNEXURE R7</u> True copy of the reply to the show cause notice dated 13.09.2023 submitted by the answering Respondent alongwith annexures.	63-80
9.	<u>ANNEXURE R8</u> True copy of the communicated dated 09.11.2021 alongwith the list of colonies.	81-93
10.	Vakalatnama with Board Resolution	94-95

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****ORIGINAL APPLICATION NO. 435 OF 2023****IN THE MATTER OF:**

Jasbir Singh

...Applicant

VERSUS

State of U.P.

...Respondents

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7 (S.J.P GLOBAL LIMITED)

1. That the answering respondent is the owner of residential project at M/s. Khasra no. 844-848, 850, 851, 867 and 871 mauja-sunrakh bangar, Tehsil and District Mathura. The construction work for the said project was started after obtaining consent to establish (NOC) from UPPCB vide letter dated 15.02.2012 and after complying with the terms and conditions of the consent to establish (NOC) and after getting approval of drawing map from Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura. True copy of the brochure of the project is annexed herewith and marked as **Annexure -R1 (Pages 16-19)**. True copy of the consent to establish (NOC) letter dated 15.02.2012 is annexed herewith and marked as **Annexure- R2 (Pages 20-21)**. True copy of the present day photographs of the project are annexed herewith and marked as **Annexure- R3 (Pages 22-53)**.

2. That the answering Respondent got the parcel of subject land converted for non-agricultural use which was granted. True copy of the order permitting conversion of subject land for non-agricultural use is annexed herewith and marked as **Annexure R4 (Pages 54-57)**.
3. That the present application arises from a letter sent by the applicant alleging that the answering Respondent had not established STP and rainwater harvesting system and did not make proper arrangement for disposal of solid waste for the development of Sri Radha Florence, Vrindavan Colony. It was further alleged that no green belt has been developed along the boundaries of the colony and no trees planted in the side colony except for one park.
4. That vide order dated 01.08.2023, this Hon'ble Tribunal has been pleased to constitute a committee consisting of the representatives of the State of Uttar Pradesh, UP Pollution Control Board, District Magistrate, Mathura by directing to verify the factual position and take appropriate remedial action and file their responses including the Respondent within a specified period.
5. That in compliance of the aforesaid order passed by this Hon'ble Tribunal, the Joint Committee submitted its Factual and Action Taken Report dated

28.08.2023. The following aspects are pertinent to note from the report of the Joint Committee:

- (a) The resident colony developed by S.J.P Global Limited is approved by Mathura-Vrindavan Development Authority which was established in the year 2012.
- (b) For the purpose of treatment of sewage generated, the answering Respondent had sent request letter dated 09.03.2012 to the Mathura Vridavan Development Authority, Mathura seeking permission of the Authority for agreement for purpose of connection of sewage drain of the project area to the city drainage system. However, the project area sewage drain was connected to the city drain network which is ultimately connected to SPS of Rukmini Vihar.
- (c) The builder had not developed any specific site for solid waste collection, however, for door to door collection, Nagar Nigan Mathura has kept 4 solid waste collection bins inside the project area. It was further informed that the Nagar Nigam daily collected solid waste from inside bins of the project area for disposal at municipal solid waste site.
- (d) The answering Respondent has developed 5 rainwater collection tanks with the volume of 37 sqm each.

- (e) The answering Respondent has developed a green belt along with one set of boundary wall of the project and a small area leftover inside the project. It is further submitted that the green belt is also depicted and evident from the brochure of the project.
- 6. That as per the report of the Joint Committee, the following compliances were found remiss:
 - (a) No documents to show sewerage tax paid to the authority have been mentioned in the joint committee report.
 - (b) No specific as well as detailed description was found during the inspection regarding site for solid waste collection have been discussed in the joint committee report.
- 7. That to the utmost shock of the answering Respondent, during the pendency of the present OA in question, a show cause notice was sent to the answering Respondent by the UPPCB on the basis of the complaint letters by the Applicant (dated 12.06.2023 and 13.07.2023) and even in the absence of any direction or order by this Hon'ble Tribunal in the present Original Application to impose the environmental compensation on the Appellant. Further, it is necessary to mention that the said proposed environmental compensation has been calculated against the answering Respondent without any explanation forthcoming as to on

what basis the amount had been assessed, how was the calculation of Rs. 6250/- per day arrived at, whether the violation was established qua the answering Respondent and what all were the violations conclusively found against the answering Respondent. True copy of the show cause notice dated 13.09.2023 issued by UPPCB is annexed herewith and marked as **Annexure R5 (Pages 58-59)**.

8. That vide email/letter dated 07.10.2023 the answering Respondent sought additional time to reply to the show cause notice issued by the UPPCB to be able to collate all the relevant information and concerned documents in reference with correspondences. True copy of the email/speed post/ letter dated 07.10.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R6 (Pages 60-62)**.
9. That on 04.11.2023, the answering Respondent submitted a detailed reply to the show cause notice received from UPPCB clarifying the following aspects:
 - (a) That the original and the afterwards site map prepared by the answering Respondent was approved by the Mathura-Vrindavan Development Authority in which there was no layout/space/demarcation for STP and in this regard in approved map no such condition was imposed upon the answering

Respondent by the Mathura Vrindavan Development Authority, Mathura at the relevant point of time vide letter dated 10.05.2011.

- (b) That for Radha Florence Housing Project, pursuant to letter no. 104/V-10-11 dated 22.09.2011 issued by the Vice-Chairman, Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura, the sewage disposal system was proposed through SPS construction Rukmini Vihar Yojana by the answering Respondent through its letter dated 04.02.2012 and keeping in mind its requirement a further letter dated 09.03.2012 was submitted by the answering Respondent to the Vice-Chairman, Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura on which the Vice-Chairman directed EE/CE to provide the requested connection and in consequence thereto the payment receipts for said connection were also done accordingly.
- (c) The answering Respondent had made water harvesting system and landscaping system in accordance with prescribed norms.
- (d) The answering Respondent has also established the solid waste disposal system at the proper place within the project premises in accordance with the norms of the municipal corporation.
- (e) That the answering respondent has developed the green belt in terms of the guidelines within the Radha Florence Project area.
- (f) That the answering respondent is a responsible and law abiding company duly registered with the Registrar of Companies, Kanpur

and has complied with all the rules and regulations and all the conditions that were imposed upon the project and any default ought not to be viewed as wilful disobedience, negligence or violation and the answering Respondent is always willing to comply with any condition that may be imposed upon by the authorities concerned.

- (g) It was further pointed out that prior to the show cause notice dated 13.09.2023, the answering Respondent had not received any notice for non-compliance of any environmental norms or rules from the UPPCB or any other authority, nor ever directed regarding any non-compliance by the authorities concerned.
- (h) As a consequence of the above, the answering Respondent request the UPPCB to provide the answering Respondent with relevant documents/inspection reports of the sewage sample collected, sample analysis report, underground water sampling analysis report during the last conducted inspection to the answering Respondent to be able to effectively reply to the show cause notice issued by UPPCB.

True copy of the reply to the show cause notice dated 13.09.2023 submitted by the answering Respondent alongwith annexures is annexed herewith and marked as **Annexure R7 (Pages 63-80)**.

10. That it is noteworthy to note that the Applicant himself is a resident of the aforesaid residential project residing at P-23, Shri Radha Florence, Vrindavan Mathura and has sent frivolous letter petition making false allegations only to arm-twist the answering Respondent without any basis and with the intention to get additional facilities in the residential colony only for the betterment of Applicant, which are not within the purview of the offer for this project.
11. That it is pertinent to mention here that the UPPCB has not provided till date the documents sought by the answering Respondent in its reply against the show cause notice dated 13.09.2023 in compliance of the most fundamental principles of natural justice.
12. That it is further submitted that as per the report of the Joint Committee also, what has been stated, is that relevant document to show payment of sewerage charges and solid waste collection had not been produced by the answering Respondent at the relevant time. However, it has nowhere been conclusively stated that the answering Respondent has been in violation of the NOC issued by the Development Authority or has breached any environmental norms. Infact, the report of the Joint Committee categorically notes that systems are set in the residential project for rain water harvesting, green belt cover, treatment of sewage

and collection of solid waste. Thus, there is no environmental damage being caused by the answering Respondent even as per the report of the Joint Committee of experts appointed by this Hon'ble Tribunal.

13. It is submitted that on 09.11.2021, Mathura Vrindavan Development Corporation submitted a list of colonies that were inspected by the officials of the Development Authority for development of road, sewage facility, tube well, overhead tank etc. The answering Respondent is named at serial no. 41 of the said list and it is stated that in so far as the answering Respondent is concerned, all development is complete. True copy of the communicated dated 09.11.2021 alongwith the list of colonies is annexed herewith and marked as **Annexure R8 (Pages 81-93)**.
14. It is further significant to point out that before consideration and adjudication on the factual report by this Hon'ble Tribunal, this Hon'ble Tribunal has been pleased to grant time to the answering Respondent to submit its response and during the pendency of the present proceedings, the UPPCB ought not to have unilaterally issued show cause notice by proposing environmental compensation of Rs. 6250/- per day against the answering Respondent before this Hon'ble Tribunal having adjudicated the issue and passing any orders. Therefore, conduct of the UPPCB not only amounts to violation of principles natural justice but also amounts to usurpation of jurisdiction of this Hon'ble Tribunal by the UPPCB.

15. That it is further submitted that environmental compensation is imposed only in the event of proven environmental damage or environmental harm by the project proponent. It is not the case of the Joint Committee or the UPPCB that any such or what type of environmental damage has been caused by the answering Respondent as alleged by the applicant or otherwise. It is further submitted that despite the fact that the answering respondent does not have STP or Solid waste treatment facility the remedy for treatment of waste effectively has been made and there is door to door collection of solid waste whereas the sewage is linked with the STP of the Development Authority apropos to the permission of the Development Authority itself. Thus, liability for the same cannot be fastened upon the answering Respondent in the absence of any justified basis.

16. That it is further submitted that the sample collected (if at all) by the UPPCB are in contravention of Rule 6 of The Environment (Protection) Rules, 1986 wherein it has been laid down that the officer empowered for collecting the sample shall give one portion of the sample (which is to be divided into two uniform parts) to the person from whom the sample is collected. Rule 6 is reproduced hereinbelow for ease of reference:

*"6. **Procedure of taking samples:** The Central Government or the officer empowered to take samples under section 11 shall collect the sample in sufficient quantity to be divided into two uniform parts and effectively seal and suitably mark the same and permit the person from whom the sample is taken to add his own seal or mark to all or any of the portions so sealed and marked. In case where the sample is made up in containers or small volumes and is likely to deteriorate or be otherwise damaged if exposed, the Central Government or the officer empowered shall take two of the said samples without opening the containers and suitably seal and mark the same. The Central Government or the officer empowered shall dispose of the samples so collected as follows:-*

(i) One portion shall be handed over to the person from whom the sample is taken under acknowledgement; and

(ii) the other portion shall be sent forthwith to the environmental laboratory or analysis.

It is submitted that in the present case, a portion of the sample collected from the STP even on demand of the Respondent was not provided to the answering Respondent at the time of collection of the same and thus, the sample was collected by officers in an arbitrary, illegal and unlawful manner.

17. Furthermore, it is submitted that the sample collected by UPPCB was in contravention of Rule 8 of The Environment (Protection) Rules, 1986 wherein it has been laid down that on receipt of report of findings of the Government Analyst, the officer shall send one copy of the report to the person from whom the sample was taken for analysis. Rule 7 is reproduced hereinbelow for ease of reference:

"8. Procedure for submission of samples for analysis, and the form of laboratory report thereon;

(1) Sample taken for analysis shall be sent by the Central Government or the officer empowered to the environmental laboratory by registered post or through special messenger along with Form II.

(2) Another copy of Form II together with specimen impression of seals of the officer empowered to take samples along with the seals/marks, if any, of the person from whom the sample is taken shall be sent separately in a sealed cover by registered post or through a special messenger to the environmental laboratory.

(3) The findings shall be recorded in Form III in triplicate and signed by the Government Analyst and sent to the officer from whom the sample is received for analysis.

(4) On receipt of the report of the findings of the Government Analyst, the officer shall send one copy of the report to the person from whom the sample was taken for analysis, the second copy shall be retained by him for his record and the third copy shall be kept by him to be produced in the Court before which proceedings, if any, are instituted."

Hence, it is a well-established fact that procedure during the collection of sample has been in utter violation of prescribed The Environment (Protection) Act and the Rules made thereunder.

18. It is also noteworthy that the show cause notice has been served upon the answering Respondent only after the institution of the present proceedings which itself confirms that even according to UPPCB no prior violation was alleged against the answering Respondent since 2012 and

thus to propose the environmental compensation at a related stage is only an afterthought and without any basis.

19. It is submitted that imposition of environmental compensation has not been provided statutorily either under the Air Act or the Water Act as well as the rules framed thereunder and thus the order of proposed environmental compensation to be imposed upon the answering Respondent in the absence of any statutory framework and without any allegation of violation established as per law, is in violation of the polluter pays principle and the precautionary principle and is therefore also wholly illegal and unwarranted.

20. It is submitted that the Hon'ble Supreme Court in has defined the term 'compensation' to be a return for loss or damage sustained. The Court expressly states that compensation must always be just, and not based on a whim or arbitrary. As laid down by the Hon'ble Supreme Court in Indian Council For Enviro-Legal Action v. Union of India, (1996) 3 SCC 212, environmental compensation refers to payment of monetary reparation by industries, imposed by authorities and judicial bodies for violating environmental rules and regulations. The imposition of environmental compensation on industry finds its basis in the key environmental law principle of 'Polluter Pays.'

21. In *Deepak Nitrite v. State of Gujarat* (2004) 6 SCC 402 the Hon'ble Supreme Court categorically held that there needs to be a finding of damage and "compensation to be awarded must have some broad correlation not only with the magnitude and capacity of the enterprise but also with the harm caused by it". This judgment laid down the foundation of Polluter Pays Principle by clarifying that the Hon'ble Supreme Court was not inclined to hold an industry accountable for compensation unless there was a clear finding of environmental harm.
22. It is settled principle that exemplary compensation is to be seldom imposed in case of deliberate and willful negligence. It is submitted that the present case is not a fit case wherein the UPPCB ought to have unilaterally proposed or impose any environmental compensation upon the answering Respondent.

23. That in light of the above, the present O.A. being devoid of merits ought to be dismissed.

Date: __.

Place: New Delhi

SJP Global Ltd.
[Signature]
Authorised Signatory
Respondent

THROUGH

[Signature]
Samaksh Goyal/ Ranu Purohit
Advocates for the Respondent
A 405, 1st Floor, Defence Colony
New Delhi 110024

I identified the executant who has signed in my presence

VERIFICATION

Verified at New Delhi on this **29 DEC 2023** day of December 2023 that the contents of the above affidavit are correct and true to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

29 DEC 2023

SJP Global Ltd.
[Signature]
Authorised Signatory
Respondent

ATTESTED

[Signature]
NOTARY PUBLIC DELHI



29 DEC 2023



YOUR OWN WAY OF LIFE



SHRI RADHA

FLORENCE
VRINDAVAN



YOUR OWN EARTH. YOUR OWN SKY.



YOUR OWN ABODE OF LUXURY

VILLAS

A home that is embellished with independence. Spacious and airy rooms, generously planned to set you free after a hectic day's work so that you cherish warm moments with your loved ones.

PLOTS

Conceived for abundant living, plots offer you complete freedom for planning your home exactly in the way you want to. Set your imagination free and let it take a shape, as distinct as you are.

YOUR OWN WORLD OF RELAXATION

At SHRI Radha Florence, life is full of relaxed moments. Unwind in the cool waters of the exclusive residents' swimming pool.




YOUR OWN WORLD OF FREEDOM

Spread on 25 acres, SHRI Radha Florence is an exclusive gated, secure, impeccably planned development with uniquely designed enclaves of sun-swept villas and plots, nestled amidst lush green surroundings.

YOUR OWN WORLD OF RECREATION

Life in SHRI Radha Florence is truly enjoyable with lavish recreational possibilities created within the complex. The club with pool table, tennis and badminton courts and other sports facilities will await your presence every evening.



YOUR OWN HIGHER WORLD


The serene and rejuvenating environment at SHRI Radha Florence makes it a truly blissful place for its habitants. Enjoy the holistic experience of spirituality and wellness.






FLOOR PLANS

SHRI RADHA
FLORENCE
VRINDAVAN



◀ Ground Floor

Plan Corner Unit | Area: 1260 Sq. Ft.



◀ Ground Floor

Plan Middle Unit | Area: 1260 Sq. Ft.



Regd. Office: 111, Shri Jamuna Dham, Goverdhan Crossing, Mathura 281004
 Corp. Office: A-133, Sector 63, Noida 201301 M. 99115 53325, 87500 50202 sms 'SHRI' to 56161
 noidasales@shrigroup.net | shrigroup.net



Samu Purohit

Disclaimer: This brochure is purely conceptual and not a legal offering. Further, the promoter/architect reserves the right to add/delete/change any details/specifications/divisions mentioned in the brochure. Pictures used are imaginary and are used only to indicate as a reference in the catalogue.

दूरभाष 2460921



क्षेत्रीय कार्यालय
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
65 ए बल्देव पुरी महोली रोड, मथुरा

संख्याक

1441 / 1100 712/12

दिनांक

15/10/12

संबंध में

मैसर्स एस०जे०पी० रीयल स्टेट लि०,
(प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स)
द्वारा श्री सुदीप अग्रवाल,
वृन्दावन, मथुरा ।

विषय- पर्यावरणीय प्रदूषण अधिनियमों के अन्तर्गत आवासीय परियोजना विकास हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन दिनांक 09.02.2012 का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पत्र के सम्बन्ध में कृपया अवगत हो कि प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती हैं।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

क- स्थल

खसरा सं०- 844 से 848, 850, 851, 867 से 871

मौजा सुनरख बोंगर, तहसील व जनपद मथुरा।

ख- निर्माण कार्य

97010.20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित

562-आवासीय लघु भूखण्ड का विकास।

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. प्रस्तावित परियोजना के उपरोक्त अंकित खसरा पर स्थल विकास हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी प्रकार के स्थल में परिवर्तन, भूमि का क्षेत्रफल, प्लॉट्स की संख्या इत्यादि में परिवर्तन होने की दशा में पुनः अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी।

3. रिहायशी कालोनी से जनित घरेलू बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के अनुसार की जाये तथा शुद्धिकरण के पश्चात् शुद्धिकृत घरेलू उत्प्रवाह का पूर्ण उपयोग सिंचाई कार्य हेतु परिसर में ही किया जाये।

4. रिहायशी कालोनी परिसर में प्रस्तावों के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की स्थापना की जाये।

5. रिहायशी कालोनी में सालिड वेस्ट निस्तारण के लिये पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नगरपालिका टोस अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, 2000 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6. रिहायशी कालोनी परिसर में चारों ओर समुचित हरित पट्टिका विकसित की जाये।

कृपया

7. रिहायशी कालोनी के निर्माण के दौरान किसी प्रकार का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा कोई भी क्लेया क्लेया पर्यावरण/जनहित के प्रतिकूल नहीं की जाये।
8. प्रस्तावित परियोजना ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है जोकि पर्यावरण दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है। निर्माण कार्य के दौरान एवं तत्पश्चात् किसी प्रदूषणकारी स्रोत/डीओजीओसेट की स्थापना एवं संचालन प्रतिबंधित है।
9. रिहायशी कालोनी में सिविल निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण से मान्यपत्र स्वीकृत कराकर इस कार्यालय में प्रति प्रेषित की जाये। साथ ही अन्य संबंधित विभागों से भी अनुमति प्रप्त की जाये।
10. प्रस्तावित आवासीय परियोजना के विकास कर्ता द्वारा पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं० 613 दिनांक 4.7.2004 एवं 14.9.2006 के प्राविधानों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
11. अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जाये। परियोजना का निर्माण पूर्ण होने से दो माह पूर्व सहमति जल एवं सहमति वायु हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर दिया जाये।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2013 तक वैध है। शर्तों के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तों का अनुपालन न पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त (रिवोक) किया जा सकता है।

महदीय

(आर०के० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उक्त दिनांक

पृ०स०

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-4), उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।


क्षेत्रीय अधिकारी

Ramu Purohit

TC










































































Ramu Purohit
| TC

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या- 84/2009-2010

गोपाल प्रसाद आदि

बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

मौजा सुनरख बांगर

अंकित आदेश

प्रार्थी गोपाल प्रसाद व हाकिम सिंह पुत्रगण नारायण निवासी नगला गोपालगढ भाग सुनरख तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित किया गया है कि वे मौजा सुनरखबांगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-247 खसरा संख्या- 847 रकवा 0.089हे. व खसरा संख्या-867 रकवा 1.291हे.कुल दो किता रकवा 1.380हे. भूराजस्व 34.80 रुपये के संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं। उक्त भूमि कृषि, वागवानी, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक-16.2.2010 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा सुनरखबांगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-247 खसरा संख्या 847 रकवा 0.089हे. व खसरा संख्या-867 रकवा 1.291हे.कुल दो किता रकवा 1.380हे. भूराजस्व 34.80 रुपये के गोपाल प्रसाद व हाकिम सिंह पुत्रगण नारायण निवासी नगला गोपालगढ भाग सुनरख तहसील व जिला मथुरा संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। यह भूमि मौके पर आवादी के प्रयोग में आ रही है। उक्त भूमि मौके पर कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लाई जा रही है, जो कृषि भूमि की परिभाषा के अन्तर्गत आच्छादित है। यह भूमि आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरण में अधिग्रहित भूमि नहीं है। उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। ग्राम सुनरखबांगर चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि को तहसीलदार, मथुरा द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।



क्षेत्रीय लेखपाल श्री नबाबसिंह का शपथ बयान दर्ज किया गया। उनके द्वारा तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तुत जोच आख्या की पुष्टि अपने बयान में की गई है।

अतः शपथ-पत्र एवं तहसीलदार, मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक-16.2.2010 के आधार पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अ0 की धारा 143 के अन्तर्गत मौजा सुनरखबांगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-247 खसरा संख्या- 847 रकवा 0.089हे. व खसरा संख्या-867 रकवा 1.291हे.कुल दो किता रकवा 1.380हे. भूराजस्व 34.80रुपये को कृषिक से अकृषिक इस शर्त के साथ उद्घोषित किया जाता है कि अकृषिक के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाने पर यह उद्घोषणा स्वतः निरस्त हो जायेगी।

26.2.2010
(राम अरज)

उप जिलाधिकारी, मथुरा

- 1- प्रतिलिपि उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज कराने हेतु प्रेषित ।
- 2- प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा को राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कराने हेतु ।



मथुरा
02/3/10

213
26/2/10
02/3/10
02/3/10

26.2.2010
(राम अरज)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

न्यायालय - उपजिलाधिकारी मथुरा

द्वारा संख्या - 66/9-10

धारा - 143 Z.A.L.R Act

राम जे० पी० शिवाजी स्टेट द्वारा राम अग्रवाल बनाम सरकार

संख्या

लाभ संसला - 29/11/10

मौजा - सुनरख बाँगर

आदेश

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या - 66/2009-2010

मैसर्स एस० जे० पी० शिवाजी स्टेट द्वारा डायरेक्टर श्री राम

अग्रवाल बनाम सरकार

धारा 143 ज०वि० एवं भू०व्य०अ०

मौजा - सुनरख बाँगर

आदेश

प्रार्थी मैसर्स एस० जे० पी० शिवाजी स्टेट द्वारा डायरेक्टर श्री राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्री जमुनाधाम गोवर्धन चौराहा, मथुरा तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंकित किया गया है कि वे मौजा सुनरखबाँगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-88 खसरा संख्या-871 रकवा 0.692हे. भूराजस्व 13.00 रुपये, खाता संख्या-361 खसरा संख्या-850 रकवा 0.158हे. भूराजस्व 3.00रुपये व खाता संख्या 437 खसरा संख्या 870 रकवा 1.910हे. भूराजस्व 33.00 रुपये कुल तीन किता रकवा 2,760हे. भूराजस्व 49.30 रुपये के संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक-27.1.2009 प्रस्तुत की गई है जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा सुनरखबाँगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-88 खसरा संख्या-871 रकवा 0.692हे. भूराजस्व 13.00 रुपये, खाता संख्या-361 खसरा संख्या-850 रकवा 0.158हे. भूराजस्व 3.00रुपये व खाता संख्या 437 खसरा संख्या 870 रकवा 1.910हे. भूराजस्व 33.00 रुपये कुल तीन किता रकवा 2,760हे. भूराजस्व 49.30 रुपये संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। मौके पर आवादी को तहसीलदार आ रही है। उक्त भूमि मौके पर कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लाई जा रही है, जो कृषि भूमि की परिभाषा के अन्तर्गत आच्छादित है। यह भूमि आवास विकास परियोजना एवं विकास प्राधिकरण में अधिग्रहित भूमि नहीं है। उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। ग्राम सुनरख बाँगर चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि को तहसीलदार मथुरा द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

क्षेत्रीय लेखपाल श्री नवाब सिंह का शपथ बयान दर्ज किया गया। उनके द्वारा तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या की पुष्टि अपने बयान में की गई है।

अतः शपथ-पत्र एवं तहसीलदार, मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक-27.1.2009 के आधार पर ज०वि० एवं भू०व्य०अ० की धारा 143 के अन्तर्गत मौजा सुनरखबाँगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-88 खसरा संख्या-871 रकवा 0.692हे. भूराजस्व 13.00 रुपये, खाता संख्या-361 खसरा संख्या-850 रकवा 0.158हे. भूराजस्व 3.00रुपये व खाता संख्या 437 खसरा संख्या 870 रकवा 1.910हे. भूराजस्व 33.00 रुपये कुल तीन किता रकवा 2,760हे. भूराजस्व 49.30रुपये को कृषिक से अकृषिक इस शर्त के साथ उद्घोषित किया जाता है कि अकृषिक के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाने पर यह उद्घोषणा स्वतः निरस्त हो जायेगी।

(राम अरज)

उप जिलाधिकारी, मथुरा

- 1- प्रतिलिपि उप निबंधक, मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज कराने हेतु प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा को राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कराने हेतु।

(राम अरज)

उप जिलाधिकारी, मथुरा


प्रार्थना पत्र की संख्या 288/6
नाम प्रार्थी राम अरज
कीमत स्टाप 13
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 12/12/10
नकल तैयारी का दिनांक 12/12/10
शब्द नकल 100

शपथ प्रतिलिपि

राजस्व अभिलेखों में
कलकत्ता, मथुरा

राजस्व अभिलेखों में
कलकत्ता, मथुरा

80 मिलानकल
80 नुरस्तीकता
80 नकलकता



न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या- 17 / 2010-2011

एस0जे0पी0 रियल स्टेट लि0 द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल बनाम सरकार
धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0-
मौजा सुनरखबांगर

आदेश

प्रार्थी एस0जे0पी0 रियल स्टेट लि0 द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्री जमुनाधाम कालौनी गोवधन चौराहा मथुरा तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक-12.3.2010 में अंकित किया गया है कि यह मौजा सुनरखबांगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-341 खसरा संख्या-848 रकवा 0.741हे, खसरा संख्या-868 रकवा 2.266हे, व खाता संख्या 404 खसरा संख्या 838 रकवा 0.733हे, कुल रकवा 3.740हे, भूराजस्व 53.10 रुपये के संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि, वागवानी, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में सशपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक-13.10.2010 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा सुनरखबांगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-341 खसरा संख्या-848 रकवा 0.741हे, खसरा संख्या-868 रकवा 2.266हे, व खाता संख्या 404 खसरा संख्या 838 रकवा 0.733हे, कुल रकवा 3.740हे, भूराजस्व 53.10 रुपये के एस0जे0पी0 रियल स्टेट लि0 द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्री जमुनाधाम कालौनी गोवधन चौराहा मथुरा तहसील व जिला मथुरा संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि, वागवानी मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि के प्रयोग में नहीं आ रही है। उक्त भूमि पर वाउन्ड्रीवाल लगी है तथा आवादी के प्रयोग में लाना चाहते हैं। उक्त भूमि आवास विकास, विकास प्राधिकरण एवं अन्य किसी सरकारी संस्था के अधिग्रहण प्रस्ताव में नहीं है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0 के अन्तर्गत आवादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

वाद दर्ज कर पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल श्री सुरेश चन्द्र शर्मा का सशपथ बयान दर्ज किया गया। लेखपाल ने अपने सशपथ बयान दिनांक-23.10.2010 में कहा है कि मौजा सुनरखबांगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-341 खसरा संख्या-848 रकवा 0.741हे, खसरा संख्या-868 रकवा 2.266हे, व खाता संख्या 404 खसरा संख्या 838 रकवा 0.733हे, कुल रकवा 3.740हे, भूराजस्व 53.10 रुपये के एस0जे0पी0 रियल स्टेट लि0 द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्री जमुनाधाम कालौनी गोवधन चौराहा मथुरा तहसील व जिला मथुरा संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि, वागवानी मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि कार्य में नहीं आ रही है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है तथा विवाद रहित है। उक्त भूमि के संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में मेरी जानकारी के अनुसार विचाराधीन नहीं है। आवास विकास परिषद या मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। सी0एच0 41 व 45 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल की गईं। वादी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

क्षेत्रीय लेखपाल के सशपथ बयान दिनांक-23.10.2010 व तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक-13.10.2010 के आधार पर मौजा सुनरखबांगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-341 खसरा संख्या-848 रकवा 0.741हे, खसरा संख्या-868 रकवा 2.266हे, व खाता संख्या 404 खसरा संख्या 838 रकवा 0.733हे, कुल रकवा 3.740हे, भूराजस्व 53.10 रुपये को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है कि यह उद्घोषणा उक्त भूमि के कृषिक उपयोग में लाये जाने पर स्वतः निरस्त मानी जायेगी। तहसीलदार, मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या आदेश का भाग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि यदि उक्त भूमि भविष्य में कृषि कार्य के प्रयोग में लायी जाती है तो तत्काल आख्या प्रस्तुत करें, ताकि उक्त उद्घोषणा निरस्त की जा सके। तहसीलदार की आख्या तथा आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में पंजीकृत करने हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांक-

यह आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(राकेश कुमार मालपाणी)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक-


सत्य प्रतिलिपि

(राकेश कुमार मालपाणी)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

बहुल सद, उपजिलाधिकारी

मथुरा

27/10



न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या-144/2009-2010

एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री राम अग्रवाल

बनाम

सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

मौजा सुनरखवांगर.

आदेश

प्रार्थी एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्री जमुनाधाम गोवर्धन चौराहा मथुरा तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 1.6.2010 में अंकित किया गया है कि वें मौजा सुनरखवांगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-341 खसरा संख्या 845 रकवा 1.088हे. खसरा संख्या 844 रकवा 0.109हे. खसरा संख्या 851क रकवा 0.376हे भूराजस्व 19.35रुपये खाता संख्या 261 खसरा संख्या 846 रकवा 1.109हे. भूराजस्व 10.95रुपये व खाता संख्या 93 खसरा संख्या 869 रकवा 0.020हे. भूराजस्व 0.35 रुपये कुल 5किता रकवा 2.702हे. भूराजस्व 30.65 रुपये के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं। उक्त भूमि कृषि, वागवानी, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। इनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक-26.6.2010 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा सुनरखवांगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-341 खसरा संख्या 845 रकवा 1.088हे. खसरा संख्या 844 रकवा 0.109हे. खसरा संख्या 851क रकवा 0.376हे भूराजस्व 19.35रुपये खाता संख्या 261 खसरा संख्या 846 रकवा 1.109हे. भूराजस्व 10.95रुपये व खाता संख्या 93 खसरा संख्या 869 रकवा 0.020हे. भूराजस्व 0.35 रुपये, कुल 5किता रकवा 2.702हे. भूराजस्व 30.65 रुपये के एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्री जमुनाधाम गोवर्धन चौराहा मथुरा तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं। प्रश्नगत कृषि, वागवानी मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि के प्रयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त स्थल पर अकृषिक है। प्रस्तावित भूमि किसी सरकारी योजनान्तर्गत अर्जन हेतु विद्यमान नहीं है। प्रस्तावित भूमि को आवादी/अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0 के अन्तर्गत आवादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।


वाद दर्ज कर पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल श्री वीरेंद्र सिंह का सशपथ बयान दर्ज किया गया। लेखपाल ने अपने सशपथ बयान दिनांक 26.7.2010 में कहा है कि मौजा सुनरखवांगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-341 खसरा संख्या 845 रकवा 1.088हे. खसरा संख्या 844 रकवा 0.109हे. खसरा संख्या 851क रकवा 0.376हे भूराजस्व 19.35रुपये खाता संख्या 261 खसरा संख्या 846 रकवा 1.109हे. भूराजस्व 10.95रुपये व खाता संख्या 93 खसरा संख्या 869 रकवा 0.020हे. भूराजस्व 0.35 रुपये कुल 5किता रकवा 2.702हे. भूराजस्व 30.65 रुपये के एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्री जमुनाधाम गोवर्धन चौराहा मथुरा तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं। वर्तमान में उक्त भूमि में कोई भी कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि विवाद रहित है। उक्त भूमि किसी भी सरकारी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहण प्रस्ताव में नहीं है। सी0एच0 41 व 45 की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर दाखिल की गई है। वादों के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

क्षेत्रीय लेखपाल के सशपथ बयान दिनांक 26.7.2010 व तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक-26.6.2010 के आधार पर, मौजा सुनरखवांगर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-341 खसरा संख्या 845 रकवा 1.088हे. खसरा संख्या 844 रकवा 0.109हे. खसरा संख्या 851क रकवा 0.376हे भूराजस्व 19.35रुपये खाता संख्या 261 खसरा संख्या 846 रकवा 1.109हे. भूराजस्व 10.95रुपये व खाता संख्या 93 खसरा संख्या 869 रकवा 0.020हे. भूराजस्व 0.35 रुपये कुल 5किता रकवा 2.702हे. भूराजस्व 30.65 रुपये को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम को धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है कि यह उद्घोषणा उक्त भूमि के कृषिक उपयोग में लाये जाने पर स्वतः निरस्त मानी जायेगी। तहसीलदार, मथुरा को उक्त संस्तुति आख्या आदेश का भाग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि यदि उक्त भूमि भविष्य में कृषि कार्य के प्रयोग में लायी जाती है तो तत्काल आख्या प्रस्तुत करें, ताकि उक्त उद्घोषणा निरस्त की जा सके। तहसीलदार की आख्या तथा आदेश की एक प्रति उप निवर्तक, मथुरा को अनिलेख में पंजीकृत करने हेतु भेजी जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होये।

दिनांक-

यह आदेश खुले न्यायालय में अंकित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक-



(राकेश कुमार मालपाणी)

उप जिलाधिकारी, मथुरा

(राकेश कुमार मालपाणी)

उप जिलाधिकारी, मथुरा

Sanu Purohit



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक 100654 /सी-4/एनजीटी-175/का0ब0नो0/2023

पंजीकृत
दिनांक 13-9-23

मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0,
(प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स),
खसरा सं0-844 से 848, 850, 851, 867 से 871,
मौजा-सुनरख बांगर,
तहसील व जनपद-मथुरा।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-435/2023 जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन में कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के संबंध में।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-435/2023 जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

- "1. The applicant, a resident of Shri Radha Florance, Vrindavan Colony has sent present letter petition, which has been treated and registered as Original Application, complaining that NOC was granted to S.J.P. Global Limited for development of Shri Radha Florence, Vrindavan Colony. The builder has not established STP and rain water harvesting systems and has not made proper arrangements for disposal of solid waste. No green belt has been developed along the boundaries of the colony and no trees have been planted in the colony except in one park. The applicant made oral and written complaints against the builder but no action has been taken on the same.
4. Further, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of CPCB, State PCB and District Magistrate, Mathura and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action including imposition of environmental compensation and utilization thereof for remediation of environmental damage by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent....."

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0-844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा-सुनरख बांगर, तहसील व जनपद-मथुरा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र शाह, साइट इन्जीनियर एवं श्री शेखर अग्रवाल, डायरेक्टर प्रोजेक्ट की उपस्थिति में दिनांक 22.08.2023 को करते हुए, निरीक्षण आख्या पत्रांक-923/ओ-100/2023, दिनांक 25.08.2023 के माध्यम से प्रेषित की गयी है। निरीक्षण आख्यानुसार रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), ताज ट्रैपेजियम जोन के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0-844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा-सुनरख बांगर, तहसील व जनपद-मथुरा पर स्थापित है। संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट को राज्य बोर्ड के पत्रांक-1441/एन0ओ0सी0-718/12, दिनांक 15.02.2012 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, जिसके बिन्दु सं0-3 के अनुसार संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट से जनित घरेलू बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना की जानी थी, परन्तु बिल्डर द्वारा कालोनी से जनित घरेलू उत्स्रवाह को नगर निगम की सीवेज लाईन से सम्बद्ध किया गया, जिसका शुद्धिकरण रूकमणी विहार एस0पी0एस0 के माध्यम से 08 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 द्वारा किया जाता है। जिसके संबंध में बिल्डर द्वारा कोलानी को सीवेज लाइन को नगर निगम से सम्बद्ध किये जाने हेतु कोई प्रपत्र/अभिलेख/रसीद आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु 05 कलेक्शन पिट का निर्माण किया गया है। संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन हेतु कोई जगह निश्चित नहीं की गयी है।

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

कालोनी के सॉलिड वेस्ट को डोर-टू-डोर रिकशे द्वारा कलेक्ट किया जाता है। कालोनी में नगर निगम मथुरा द्वारा 04 लोहे के वेस्ट कलेक्शन पिट रखे गये हैं। संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में कालोनी के एक तरफ की दीवार की तरफ हरित पट्टिका विकसित की गयी है तथा कालोनी में छोटे-छोटे स्थलों पर हरित पट्टिका विकसित की गयी है। संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट के बिल्डर द्वारा कालोनी के संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है।

यह कि संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के पत्रांक-727/जे-75/2023, दिनांक 13.07.2023, पत्रांक-545/जे-75/2023, दिनांक 12.06.2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे, जिसका प्रतिउत्तर रियल स्टेट प्रोजेक्ट स्वामी द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण, मथुरा द्वारा पत्रांक-923/ओ-100/2023 दिनांक 25.08.2023 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-435/2023 जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के निर्देशों के अनुपालन में रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै० एस०जे०पी० रीयल स्टेट लि०, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं०-844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा-सुनरख बांगर, तहसील व जनपद-मथुरा के विरुद्ध रू० 6,250/- प्रतिदिन की दर से दिनांक 16.02.2016 से समस्या का समाधान होने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 25.08.2023 के अनुक्रम में रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै० एस०जे०पी० रीयल स्टेट लि०, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं०-844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा-सुनरख बांगर, तहसील व जनपद-मथुरा के विरुद्ध निम्नवत् कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै० एस०जे०पी० रीयल स्टेट लि०, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं०-844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा-सुनरख बांगर, तहसील व जनपद-मथुरा के विरुद्ध रू० 6,250/- प्रतिदिन की दर से दिनांक 16.02.2016 से समस्या का समाधान होने तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित अधिरोपित कर दी जाये।

अतः उपरोक्त के संबंध में अपना प्रतिउत्तर सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्य सहित पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को सूचनार्थ एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

Sanu Purohit

TC



SHRI Accounts <accounts@shrigroup.net>

Prayer for Granting 15 days Extra time for reply in case of Show Case Notice of Shri Radha Florance

SHRI Accounts <accounts@shrigroup.net>
To: info@uppcb.com

Sat, Oct 7, 2023 at 6:42 PM

दिनांक - 07-10-2023

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
T.C.-12V, विभूति खंड
गोमती नगर, लखनऊ-226010

विषय - मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नयी दिल्ली में योजित ओ० ए० संख्या - 435/2023 जसबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 01-08-2023 के अनुपालन में कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में आपके द्वारा प्रेषित कारण बताओ नोटिस पत्रांक H00654/C-4/एन जी टी-175/का०ब०नो०/2023 का संज्ञान लेने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस जोकि प्रार्थी को दिनांक 22-09-2023 को प्राप्त हुआ है, के सन्दर्भ में अवगत करना है कि अपेक्षित उत्तर तैयार किये जाने हेतु पूर्व में विभिन्न विभागों के मध्य हुए पत्राचार से सम्बंधित सूचनाओं एवं तथ्यात्मक वस्तुस्थिति तथा प्रार्थी स्तर से संपन्न की गयी समस्त कार्यवाही को संकलन किये जाने के उपरांत ही संप्रमाण संतोष जनक उत्तर दिए जाने हेतु समय की कमी को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 13-09-2023 का उत्तर देने हेतु 15 दिन का समय अतिरिक्त रूप से प्रदान करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

भवदीय
कृते एसजे पी ग्लोबल लिमिटेड
(पूर्व नाम एसजे पी रियल स्टेट लिमिटेड)
(श्री राधा फ्लोरेंस)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

 NGT FLORANCE LETTER.pdf
389K

ईमेल / स्पीड पोस्ट

दिनांक - 07-10-2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

T.C.-12V, विभूति खंड

गोमती नगर, लखनऊ-226010

विषय - मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नयी दिल्ली में योजित ओ० ए० संख्या - 435/2023 जसबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 01-08-2023 के अनुपालन में कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में आपके द्वारा प्रेषित कारण बताओ नोटिस पत्रांक H00654/C-4/एन जी टी-175/का०ब०नो०/2023 का संज्ञान लेने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस जोकि प्रार्थी को दिनांक 22-09-2023 को प्राप्त हुआ है, के सन्दर्भ में अवगत करना है कि अपेक्षित उत्तर तैयार किये जाने हेतु पूर्व में विभिन्न विभागों के मध्य हुए पत्राचार से सम्बंधित सूचनाओं एवं तथ्यात्मक वस्तुस्थिति तथा प्रार्थी स्तर से संपन्न की गयी समस्त कार्यवाही को संकलन किये जाने के उपरांत ही सप्रमाण संतोष जनक उत्तर दिए जाने हेतु समय की कमी को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 13-09-2023 का उत्तर देने हेतु 15 दिन का समय अतिरिक्त रूप से प्रदान करने की कृपा करें।


आपकी अति कृपा होगी।


भवदीय

कृते एसजे पी ग्लोबल लिमिटेड

(पूर्व नाम एसजे पी रियल स्टेट लिमिटेड)

SJP Global Ltd.


 Authorised Signatory
 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
S.J.P. Global Ltd
 HO. : 111, SHRI Jamuna Dham, Goverdhan Road, Mathura
 www.shrigroup.co Info@shrigroup.net



EU008533439IN IVR:6985008533439
 SP HPCN COUNTER MATHURA JN RMS <281001>
 Counter No:1,07/10/2023,19:13
 To:UKHY PARYAVR,UF POLLUTION COMT
 PIN:225010, Ganti Nagar SO
 From:GUP GLOBALS LTD.,
 Wt:12gms
 Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
 <Track on www.indiapost.gov.in>



Ramu Purohit

TC

Email/Speed Post

Date: 04.11.2023

To,

Chief Environmental Officer Circle-4,
U.P. Pollution Control Board,
T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226010.

Sub.: Reply to the show cause notice bearing letter ref. no H00654/C-4/NGT-175/dk-c-uks-/2023 date 13.09.2023.

Sir,

With reference to the subject mentioned above please refer our request letters dated 07.10.2023 and 27.10.2023 and in furtherance thereto I have the honor to submit that since 2010-2011 applicant SJP Global Limited is company registered under the Companies Act-1956 vide its corporate I.D. No.-U70102UP2010PLC040335 2010-20211 Office of the Company Registrar, Kanpur having its Head Office at 111, Shri Jamuna Dham, Goverdhan Road, Mathura-281004 (Annexure-1) and engaged in business of housing construction by complying all the laws and rules concerning with the agencies or regulatory authorities, within its best of knowledge.

2. that the applicant M/s SJP Global Ltd. (Previous Name SJP Real Estate Ltd.) its (Shri Radha Florence) at Khasara No.

S.J.P. Global Ltd

HO. : 111, SHRI Jamuna Dham, Goverdhan Road, Mathura
www.shrigroup.co info@shrigroup.net

844 to 848, 850, 851, 867 to 871 Mauja-Sunrakh Bangar, Tehsil and District-Mathura which after obtaining the NOC vide letter dated 15.02.2012 from UP Pollution Control Board has started the construction work by complying the terms and conditions of NOC granted by UP Pollution Control Board as well as approved drawing map by the Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura.

3. That regarding the compliance of NOC condition no. 3 in concerned with Sewage Treatment Plant (STP) it is to reply that in applicant's approved site drawing map vide its letter file no. 104/V-10-11 including issued amendment (Annexure-2 & 3) the space for Sewerage Treatment Plant has not been proposed nor about its Compulsion Mathura-Vrindavan Development Authority ever instructed to the applicant pursuant to the prevalent bye laws etc., if any, nor in its permission letter dated 10.05.2011 any condition regarding Sewage Treatment Plant installation imposed under the Water (prevention and Control of Pollution) Act 1974. The copy of the approved amended site drawing no. 104/V/10-11 is being enclosed herewith (Annexure-4).
4. That further it is necessary to point out that in Shri Radha Florence Housing Project pursuant to the letter no. 104/V-10-11 dated 22.09.2011 issued by Vice-chairman, Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura the sewage disposal system was proposed through SPS construction Rukmani Vihar Yojna by the applicant company/project

proponent through its request letter dated 04.02.2012 to Vice-Chairman, Mathura-Vrindavan Development Authority (Annexure-5) and for this purpose again letter dated 09.03.2012 was submitted to Mathura-Vrindavan Development Authority (Annexure-6) on which Vice-Chairman directed to CE/EE to provide the requested connection. The details of demand prior to first instalment including receipt book no. 2188 Sl. no. 218763 Prapatra Sankhya 2 are being enclosed herewith (Annexure-7 & 8) respectively.

5. That the applicant project proponent has adopted the Rain Water Harvesting and land escaping system subject to the satisfaction of the authorities concerned. Similarly solid waste disposal system is in existence in accordance with the norms of Municipal Corporation as well as green belt also established as per guidelines within the area of Shri Radha Florence Project.
6. That the applicant is a law abiding company and committed to comply all the laws, rules and enactments regarding building construction and therefore, any default of the applicant company/project proponent should not be amounted under the wilful disobedience or violation of the mandatory provisions of any prevalent Act as well as rules framed thereunder and/or applicable to the project proponent.

7. That prior to this show cause notice dated 13.09.2023 the applicant has never received any notice for non-compliance of the provisions of either enactments or rules framed thereunder by Regional Officer U.P. Pollution Control Board, Mathura or any other authority concerned.
8. That pursuant to the directions dated 01.08.2023 in O.A. no. 435/2023 Jasbir Singh v/s State of UP by Hon'ble National Green Tribunal your goodself vide letter dated 13.09.2023 issued show cause notice to the applicant project proponent for imposition of Environmental compensation for the environmental degradation by its defaults.
9. That in compliance of the order dated 01.08.2023 in O.A. No. 435/2023 the constituted Joint Committee comprising of CPCB, State PCB and district Magistrate, Mathura have been directed to look into the grievances of the applicant (Jasbir) and by verifying the factual position to take appropriate remedial action including imposition of environmental compensation and utilization thereof for remediation of environmental damage by following due course of law while show cause notice dated 13.09.2023 has not been issued in true sprit of Hon'ble NGT order dated 01.08.2023.
10. That further it is pertinent to mention here that imposition of environmental composition is based on the 'Polluter Pays' principle which imposes liability on a person who pollutes the environment to compensate for the damage caused and

return the environment to its original state regardless of the intent. Further, the Indian Judiciary has incorporated the 'Polluter pays' Principle as being a part the Environmental Law regime is evident from the judgements passed. For example, in Indian Council for Enviro-Legal Action v/s Union of India 1996 (3) SCC 212 Hon'ble Supreme Court held that once the activity carried on is hazardous or inherently dangerous, the person carrying on such activity is liable to make good the loss caused to any other person by his activity irrespective of the fact whether he took reasonable care while carrying on his activity. The rule is premised upon the very nature of the activity carried on. In this respect, it is to be stated that the applicant project proponent with due care regarding environment protection constructed its project. U.P. Pollution Control Board has never made available the soil testing report caused damaged due to unauthorised way sewage discharge including collected discharged-sewage sampling analysis report to assess the environmentally soil properties loss or degradation of underground water quality if any found due to the ignorance as well as negligence of the applicant unit for the purpose of environmental compensation assessment calculation under scientific formula based manner.

11. That it is noteworthy to mention that the imposition of environmental compensation by the State Board has not been provided under the environmental enactments as well

as rules framed thereunder and in absence of any statutory provisions in any environmental laws, and therefore the show cause notice for imposition of environmental compensation in absence of due course regarding 'polluter pays' principle application is wholly unwarranted; rather it is in violation of environmental enactments and as such the show cause notice dated 13.09.2023 can be said against the principle of natural justice in view of the fact that the documents/ inspection reports collected sewage sample analysis reports, environmentally damaged soil testing report and underground water sampling analysis report being the foundation of the show cause notice have not been supplied to the applicant and as such it transpires that the applicant project proponent cannot effectively defend or demonstrate before your goodself and therefore the applicant project proponent will be able to put up his case effectively after receipt of the copies of the documents inspection reports, collected sewage sample analysis reports, environmentally damaged soil testing report and underground water sampling analysis reports.

12. That apart from the aforesaid contentions in respect of the inspections report, collected sewage sample analysis report and environmentally damaged soil testing report and underground water sampling analysis report including and remaining relevant documents in connection with the applicant default. Further, it is necessary and desirable to

demonstrate that any documents being the foundation of imposition of environmental compensation should have been prepared by resorting to the regulatory procedure as provided under the Environmental Enactments as well as under the Rules framed thereunder.

13. That it is not out of place to mention here that State Board is an autonomous body created under the environmental enactments and the State Board should have to function only in conformity with the provisions of the enactments for which the State Board envisaged under the aforesaid enactments can only and independently be exercised by the State Board itself and thus the proposed imposition of environmental compensation is fully erroneous and unsustainable in law.

In view of the facts, circumstances and legal position enumerated above, it is most respectfully prayed that your goodself, in compliance of Hon'ble NGT order dated 01.08.2023, may kindly be pleased to proceed further to show cause notice dated 13.09.2023 in accordance with law in the interest of Justice.

Yours' faithfully,

For SJP Global Limited
(Previous Name SJP Real Estate
Limited) (Shri Radha Florence)


Authorised Signatory

CC:

-District Magistrate, Mathura

-Regional Officer, Uttar Pradesh, Pollution Control Board, Mathura




<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU008553019IN IVR:6985008553019

भारतीय डाक

SP MFCM COUNTER MATHURA JN RMS <281001>



Counter No:1,07/11/2023,18:25

To:CH EN OFF C,.

PIN:226010, Gomti Nagar SO

From:GJP GLOBAL LTD,.

Wt:99gms

Amt:47.20(Cash)Tax:7.20

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU008553022IN IVR:6985008553022

भारतीय डाक

SP MFCM COUNTER MATHURA JN RMS <281001>



Counter No:1,07/11/2023,18:25

To:DM,.

PIN:281001, MFCM Counter Mathura Jn RMS

From:GJP GLOBAL LTD,.

Wt:99gms

Amt:29.50(Cash)Tax:4.50

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU008553036IN IVR:6985008553036

भारतीय डाक

SP MFCM COUNTER MATHURA JN RMS <281001>



Counter No:1,07/11/2023,18:25

To:R O,.

PIN:281001, MFCM Counter Mathura Jn RMS

From:GJP GLOBAL LTD,.

Wt:99gms

Amt:29.50(Cash)Tax:4.50

<Track on www.indiapost.gov.in>



प्रारूप - 1
पंजीकरण प्रमाण-पत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U70102UP2010PLC040335

2010 - 2011

मैं एतावत द्वारा सत्यापित करता हूँ कि निम्नलिखित

SJP GLOBAL LIMITED

का पंजीकरण, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के भाग 9 के अधीन आज किया जाता है और यह कम्पनी लिमिटेड है।

यह निगमन-पत्र आज दिनांक चौदह अप्रैल दो हजार दस को मेरे हस्ताक्षर से कानपुर में जारी किया जाता है।

Form 1
Certificate of Incorporation

Corporate Identity Number : U70102UP2010PLC040335

2010 - 2011

I hereby certify that SJP GLOBAL LIMITED is this day incorporated under Part IX of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and that the company is limited.

Given under my hand at Kanpur this Twenty Third day of April Two Thousand Ten.



(BANJAY BOSE)

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार / Assistant Registrar of Companies
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड
Uttar Pradesh and Uttarakhand

कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध पताधार का पता:

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

SJP GLOBAL LIMITED
11, SHRI JAMUNA DHAM, GOVERDHAN ROAD,
MATHURA - 281004,
Uttar Pradesh, INDIA



मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

32, सिविल लाइन्स, मथुरा

उत्तर प्रदेश योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत स्वीकृति

(साधा फ्लोरेन्स)

संख्या 104/V-10-11

श्री/श्रीमती/कुमारी सुदीप अग्रवाल पुत्र/पत्नी स्व.श्री जमुना प्रसाद
निवासी कंस मंडल से 844, 845, 850, 851, 867 से 871, मंडल सुन्दरस बाजार

जिन्होंने प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निर्माण कार्य करने के लिए प्रार्थना पत्र
दिनांक 30/08/2010 को दिया। को निर्माण कार्य करने की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों
के साथ आज दिनांक 10-5-11 से 07-5-2016 को दी जाती है।

- (1) निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा।
- (2) निर्माणित कार्य का कोई भी भाग सरकार अथवा नगरपालिका की भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा और न वह उन पर प्रोजेक्ट करेगा।
- (3) निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में अनुज्ञा प्राप्तकर्ता इस विकास प्राधिकरण को निर्माण की प्रगति के बारे में निम्नलिखित सूचना देगा-
 - (क) निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि.....
 - (ख) नींव भरे जाने के पश्चात् तथा दीवार उठाने से पूर्व.....
 - (ग) स्वीकृत के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि, गृह प्रवेश के पूर्व.....
- (4) दी गई अनुज्ञा केवल पाँच वर्ष के लिये मान्य होगी, जिसके भीतर इमारत पूर्ण रूप से बनाने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा और ऐसा न होने पर यदि अनुज्ञा प्राप्तकर्ता उचित समय के भीतर प्रार्थना करे तो स्वीकृति एक वर्ष के लिए ओर बढ़ा दी जायेगी परन्तु यह बढ़ाव उक्त समय के भीतर लिये लागू नियमों के अधीन होगा। स्वीकृति अवधि के पश्चात् किया गया निर्माण अवैध समझा जायेगा।
- (5) कोई भी नई बनाई गई फिर से बनाई गई या रद्दो बदल की गई इमारत के पूर्ण भाग में उक्त समय तक रहने की आज्ञा नहीं होगी तब तक ऐसा करने के लिए नगर पालिका, मथुरा सर्टीफिकेट न प्रस्तुत किया जाय जिसमें यह लिखा हो कि इमारत हर प्रकार से नियमों के अनुकूल है तथा उपबन्धों की पूर्ति करती है और रहने योग्य है।
- (6) उपर्युक्त निर्माण इण्डियन इलेक्ट्रिकसिटी रूल्स 1957 के नियमों 79 तथा 30 के अनुसार किया जायेगा और उस सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी निर्माण कर्ता की हो होगी।

(7) मानचित्र पर चर्या सब शर्त मान्य होगी।

उपाध्यक्ष

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण

मथुरा



मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा

32, सिविल लाइन्स, मथुरा

उत्तर प्रदेश योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत स्वीकृति

(श्री वाधा फ्लोरेट्स)

संशोधित तमपूजाबल संख्या 104/2/10-11

श्री/श्रीमती/श्रीवती सुदीप अग्रवाल पुत्र/पत्नी/पति श्री जमुना प्रसाद

निवासी नं. 844, 845, 846, 847, 848, 850, 851, 867, 868, 869, 870

स्थल: 871, कोला-सुवर्ण कॉन्डो, वृन्दावन

जिन्होंने प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निर्माण कार्य करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिनांक 05/08/2011 को दिया। को निर्माण कार्य करने की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के साथ आज दिनांक 20/08/2011 से 20/11/2011 को दी जाती है।


- (1) निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किया जायेगा।
- (2) निर्माणित कार्य का कोई भी भाग सरकार अथवा नगर पालिका की भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा और न वह उन पर प्रोजेक्ट करेगा।
- (3) निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में अनुज्ञा प्राप्तकर्ता इस विकास प्राधिकरण को निर्माण की प्रगति के बारे में निम्नलिखित सूचना देगा-
 - (क) निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि
 - (ख) नींव भरे जाने के पश्चात् तथा दीवार उठने से पूर्व
 - (ग) स्वीकृत के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि, गृह प्रवेश के पूर्व
- (4) दी गई अनुज्ञा केवल पाँच वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसके भीतर इमारत पूर्ण रूप से बनाने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा और ऐसा न होने पर यदि अनुज्ञा प्राप्तकर्ता उचित समय के भीतर प्रार्थना करें तो स्वीकृति एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जायेगी परन्तु वह बढ़ाव उक्त समय के भीतर लिए लागू नियमों के अधीन होगा। स्वीकृति अवधि के पश्चात् किया गया निर्माण अवैध समझा जायेगा।
- (5) कोई भी नई बनाई गई फिर से बनाई गई या रद्दो बदल की गई इमारत के पूर्ण भाग में उक्त समय तक रहने की आज्ञा नहीं होगी तब तक ऐसा करने के लिए नगरपालिका, मथुरा सार्टीफिकेट न प्रस्तुत किया जाय जिसमें यह लिखा हो कि इमारत हर प्रकार के नियमों के अनुकूल है तथा उपबन्धों की पूर्ति करती है और रहने योग्य है।
- (6) उपर्युक्त निर्माण इण्डियन इलैक्ट्रिकलिसिटी रूल्स 1957 के नियमों 79 तथा 30 के अनुसार किया जायेगा और उस सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी।
- (7) रैन वाटर हार्वैस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
- (8) स्थल पर वृक्ष कदम्ब, अशोक आदि को लगाने होंगे।
- (9) मकान के परिसर को सफाई रखने में ज़रूरत होगी।

उपाध्यक्ष

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

मथुरा।

वी.ए.ए. अंशक 1 के दि. 12/05/2008 से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होगी।
RAIN WATER HARVESTING PIT



OWNER'S LAND LEFT FOR FUTURE USE 2461.32 SQM

द्वितीय श्रेणी का प्लॉट का विकल्प कर दिया है।
कामिन्दम 30 मीटर चौड़ा एवं 15 मीटर गहराई के अनुसार है।
सूचक शिपिंग

संशोधित तलवद सार्वजनिक उ० 109/की/10-11
प्रस्तावित माचिस के अनुसार विकसित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सामूहिक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
1- शपथ पत्र के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त शपथ पत्र पर प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
2- प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद माचिस के अनुसार विकसित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शपथ पत्र प्राप्त होगा।
3- माचिस के अनुसार विकसित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शपथ पत्र प्राप्त होगा।
4- माचिस के अनुसार विकसित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शपथ पत्र प्राप्त होगा।
5- माचिस के अनुसार विकसित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शपथ पत्र प्राप्त होगा।
6- माचिस के अनुसार विकसित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शपथ पत्र प्राप्त होगा।
7- माचिस के अनुसार विकसित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शपथ पत्र प्राप्त होगा।
8- माचिस के अनुसार विकसित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शपथ पत्र प्राप्त होगा।
9- माचिस के अनुसार विकसित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शपथ पत्र प्राप्त होगा।
10- माचिस के अनुसार विकसित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शपथ पत्र प्राप्त होगा।

LEGEND TYPES

- A CORNER DUPLEX 99.48 sqm
- B INTERMEDIATE DUPLEX 84.28 sqm
- C 8.22 m x 18.14 m (149.11 sqm)
- D 9.12 m x 18.14 m (165.44 sqm)
- E 6.53 m x 12.8 m (83.58 sqm)
- F 8.14 m x 12.8 m (104.19 sqm)
- ODD ODD SIZE PLOTS
- GREEN
- SETBACK LINE


Area Calculations

Sl. No.	Description	Area (Sq. M)	Area (Sq. M)	Area (Sq. M)	Area (Sq. M)
1	Corner Duplex Plot	77	9.95	15.11	37.31
2	Intermediate Duplex Plot	21	8.14	15.11	37.31
3	Plot for P.S. School	1	1000		
4	Plot for P.S. School	1	1000		
5	Plot for P.S. School	1	1000		
6	Plot for P.S. School	1	1000		
7	Plot for P.S. School	1	1000		
8	Plot for P.S. School	1	1000		
9	Plot for P.S. School	1	1000		
10	Plot for P.S. School	1	1000		
11	Plot for P.S. School	1	1000		
12	Plot for P.S. School	1	1000		
13	Plot for P.S. School	1	1000		
14	Plot for P.S. School	1	1000		
15	Plot for P.S. School	1	1000		
16	Plot for P.S. School	1	1000		
17	Plot for P.S. School	1	1000		
18	Plot for P.S. School	1	1000		
19	Plot for P.S. School	1	1000		
20	Plot for P.S. School	1	1000		
21	Plot for P.S. School	1	1000		
22	Plot for P.S. School	1	1000		
23	Plot for P.S. School	1	1000		
24	Plot for P.S. School	1	1000		
25	Plot for P.S. School	1	1000		
26	Plot for P.S. School	1	1000		
27	Plot for P.S. School	1	1000		
28	Plot for P.S. School	1	1000		
29	Plot for P.S. School	1	1000		
30	Plot for P.S. School	1	1000		
31	Plot for P.S. School	1	1000		
32	Plot for P.S. School	1	1000		
33	Plot for P.S. School	1	1000		
34	Plot for P.S. School	1	1000		
35	Plot for P.S. School	1	1000		
36	Plot for P.S. School	1	1000		
37	Plot for P.S. School	1	1000		
38	Plot for P.S. School	1	1000		
39	Plot for P.S. School	1	1000		
40	Plot for P.S. School	1	1000		
41	Plot for P.S. School	1	1000		
42	Plot for P.S. School	1	1000		
43	Plot for P.S. School	1	1000		
44	Plot for P.S. School	1	1000		
45	Plot for P.S. School	1	1000		
46	Plot for P.S. School	1	1000		
47	Plot for P.S. School	1	1000		
48	Plot for P.S. School	1	1000		
49	Plot for P.S. School	1	1000		
50	Plot for P.S. School	1	1000		
51	Plot for P.S. School	1	1000		
52	Plot for P.S. School	1	1000		
53	Plot for P.S. School	1	1000		
54	Plot for P.S. School	1	1000		
55	Plot for P.S. School	1	1000		
56	Plot for P.S. School	1	1000		
57	Plot for P.S. School	1	1000		
58	Plot for P.S. School	1	1000		
59	Plot for P.S. School	1	1000		
60	Plot for P.S. School	1	1000		
61	Plot for P.S. School	1	1000		
62	Plot for P.S. School	1	1000		
63	Plot for P.S. School	1	1000		
64	Plot for P.S. School	1	1000		
65	Plot for P.S. School	1	1000		
66	Plot for P.S. School	1	1000		
67	Plot for P.S. School	1	1000		
68	Plot for P.S. School	1	1000		
69	Plot for P.S. School	1	1000		
70	Plot for P.S. School	1	1000		
71	Plot for P.S. School	1	1000		
72	Plot for P.S. School	1	1000		
73	Plot for P.S. School	1	1000		
74	Plot for P.S. School	1	1000		
75	Plot for P.S. School	1	1000		
76	Plot for P.S. School	1	1000		
77	Plot for P.S. School	1	1000		
78	Plot for P.S. School	1	1000		
79	Plot for P.S. School	1	1000		
80	Plot for P.S. School	1	1000		
81	Plot for P.S. School	1	1000		
82	Plot for P.S. School	1	1000		
83	Plot for P.S. School	1	1000		
84	Plot for P.S. School	1	1000		
85	Plot for P.S. School	1	1000		
86	Plot for P.S. School	1	1000		
87	Plot for P.S. School	1	1000		
88	Plot for P.S. School	1	1000		
89	Plot for P.S. School	1	1000		
90	Plot for P.S. School	1	1000		
91	Plot for P.S. School	1	1000		
92	Plot for P.S. School	1	1000		
93	Plot for P.S. School	1	1000		
94	Plot for P.S. School	1	1000		
95	Plot for P.S. School	1	1000		
96	Plot for P.S. School	1	1000		
97	Plot for P.S. School	1	1000		
98	Plot for P.S. School	1	1000		
99	Plot for P.S. School	1	1000		
100	Plot for P.S. School	1	1000		

Counting of plots

Sl. No.	Description	Area (Sq. M)	Area (Sq. M)	Area (Sq. M)	Area (Sq. M)
1	Corner Duplex Plot	77	9.95	15.11	37.31
2	Intermediate Duplex Plot	21	8.14	15.11	37.31
3	Plot for P.S. School	1	1000		
4	Plot for P.S. School	1	1000		
5	Plot for P.S. School	1	1000		
6	Plot for P.S. School	1	1000		
7	Plot for P.S. School	1	1000		
8	Plot for P.S. School	1	1000		
9	Plot for P.S. School	1	1000		
10	Plot for P.S. School	1	1000		
11	Plot for P.S. School	1	1000		
12	Plot for P.S. School	1	1000		
13	Plot for P.S. School	1	1000		
14	Plot for P.S. School	1	1000		
15	Plot for P.S. School	1	1000		
16	Plot for P.S. School	1	1000		
17	Plot for P.S. School	1	1000		
18	Plot for P.S. School	1	1000		
19	Plot for P.S. School	1	1000		
20	Plot for P.S. School	1	1000		
21	Plot for P.S. School	1	1000		
22	Plot for P.S. School	1	1000		
23	Plot for P.S. School	1	1000		
24	Plot for P.S. School	1	1000		
25	Plot for P.S. School	1	1000		
26	Plot for P.S. School	1	1000		
27	Plot for P.S. School	1	1000		
28	Plot for P.S. School	1	1000		
29	Plot for P.S. School	1	1000		
30	Plot for P.S. School	1	1000		
31	Plot for P.S. School	1	1000		
32	Plot for P.S. School	1	1000		
33	Plot for P.S. School	1	1000		
34	Plot for P.S. School	1	1000		
35	Plot for P.S. School	1	1000		
36	Plot for P.S. School	1	1000		
37	Plot for P.S. School	1	1000		
38	Plot for P.S. School	1	1000		
39	Plot for P.S. School	1	1000		
40	Plot for P.S. School	1	1000		
41	Plot for P.S. School	1	1000		
42	Plot for P.S. School	1	1000		
43	Plot for P.S. School	1	1000		
44	Plot for P.S. School	1	1000		
45	Plot for P.S. School	1	1000		
46	Plot for P.S. School	1	1000		
47	Plot for P.S. School	1	1000		
48	Plot for P.S. School	1	1000		
49	Plot for P.S. School	1	1000		
50	Plot for P.S. School	1	1000		
51	Plot for P.S. School	1	1000		
52	Plot for P.S. School	1	1000		
53	Plot for P.S. School	1	1000		
54	Plot for P.S. School	1	1000		
55	Plot for P.S. School	1	1000		
56	Plot for P.S. School	1	1000		
57	Plot for P.S. School	1	1000		
58	Plot for P.S. School	1	1000		
59	Plot for P.S. School	1	1000		
60	Plot for P.S. School	1	1000		
61	Plot for P.S. School	1	1000		
62	Plot for P.S. School	1	1000		
63	Plot for P.S. School	1	1000		
64	Plot for P.S. School	1	1000		
65	Plot for P.S. School	1	1000		
66	Plot for P.S. School	1	1000		
67	Plot for P.S. School	1	1000		
68	Plot for P.S. School	1	1000		
69	Plot for P.S. School	1	1000		
70	Plot for P.S. School	1	1000		
71	Plot for P.S. School	1	1000		
72	Plot for P.S. School	1	1000		
73	Plot for P.S. School	1	1000		
74	Plot for P.S. School	1	1000		
75	Plot for P.S. School	1	1000		
76	Plot for P.S. School	1	1000		
77	Plot for P.S. School	1	1000		
78	Plot for P.S. School	1	1000		
79	Plot for P.S. School	1	1000		
80	Plot for P.S. School	1	1000		
81	Plot for P.S. School	1	1000		
82	Plot for P.S. School	1	1000		
83	Plot for P.S. School	1	1000		
84	Plot for P.S. School	1	1000		
85	Plot for P.S. School	1	1000		
86	Plot for P.S. School	1	1000		
87	Plot for P.S. School	1	1000		
88	Plot for P.S. School	1	1000		
89	Plot for P.S. School	1	1000		
90	Plot for P.S. School	1	1000		
91	Plot for P.S. School	1	1000		
92	Plot for P.S. School	1	1000		
93	Plot for P.S. School	1	1000		
94	Plot for P.S. School	1	1000		
95	Plot for P.S. School	1	1000		
96	Plot for P.S. School	1	1000		
97	Plot for P.S. School	1	1000		
98	Plot for P.S. School	1	1000		
99	Plot for P.S. School	1	1000		
100	Plot for P.S. School	1	1000		

Handwritten notes in Hindi: 'अंशक 1 के दि. 12/05/2008 से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होगी।' and other details.



Area Statement

Description	Area (SQM)	%
Plot Area	84348.281	
Road Widening	151.69	
Nett Plot Area	84397.19	100.00%
Pri. School Area	1000.00	1.06%
Plotted Area	83795.52	99.28%
Green Area	14513.71	17.32%
Open & Pathway	1162.66	1.39%
Road Area	23935.30	28.35%

Client: GJP Real Estate Limited
Architect: GRUP. ISM P LTD
Signature: Sudesh Agrawal

Address: Friends Colony East (I st), N. Delhi 110085
Tel. (01) 11 2691 3838, 2691 0866, 2691 0883
E-mail: grup@grup-ism.com

GRUP. ISM P LTD
ARCHITECTS
THE GROUP FOR RURAL AND URBAN PLANNING

JOB CODE: SHEET 888
DEALT: drg. no.
CHECKED BY: VMM

DRAWING CATEGORY: REVISION #

SJP REAL ESTATE LIMITED

AN ISO 9001:2000 CERTIFIED CO.



सेवा में,
उपाध्यक्ष महोदय,
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा

दिनांक : 04-02-2012

विषय:- सीवेज निस्तारण व्यवस्था बाबत


महोदय,

ग्राम सुनरख की भूमि पर हमारे द्वारा श्री राधा फ्लोरेस नामक आवासीय योजना का मानचित्र संख्या 104 /V-10 -11 दिनांक 22-9-2011 प्राधिकरण से स्वीकृत कराया गया है इस योजना के सीवेज निस्तारण की व्यवस्था रुकमनी विहार योजना में निर्मित किये जा रहे एस. पी. एस. के माध्यम से प्रस्तावित है।

कृपया अनुरोध है कि इस योजना को कुल डिस्चार्ज 120 m³ प्रतिदिन प्राधिकरण द्वारा डाले जा रहे सीवर के निकटतम मैनहोल तक हमारे द्वारा लाया जायेगा। कृपया इसको प्राधिकरण सीवर में जोड़े जाने की अनुमति एवं स्थान निर्देशित कराने का कष्ट करें। इस हेतु हमारे द्वारा बाह्य विकास (External Development) शुल्क मद में प्राधिकरण कोष में रु.21,13,680/- जमा कराये जा चुके हैं तथा भविष्य में किस्तों में रु. 62, 56, 224/- जमा कराना है। हमारा invert level पुलिया कलवर्ट के टॉप से लगभग 4 मीटर नीचे रहेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

धन्यवाद


सुरेश चन्द कौशिक
डायरेक्टर-श्री ग्रुप

CE / XEN
कृ. नरेश्वर
अनुमति (Provision)
के. ए. जे. एस.
बिना बिना डोन
श्री/श्री प्रबलम ए. ए.
केशव
02/3/2012



SJP REAL ESTATE LIMITED

AN ISO 9001:2000 CERTIFIED CO.



सेवामें,

श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय,
मथुरा-चून्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा ।

विषय:-श्री राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी सुनरख बाँगर वृन्दावन के सीवर लाइन को रूकमणी विहार आवासीय योजना सुनरख बाँगर में सीवर लाइन को संयोजित करने के संदर्भ में ।

महोदय,

महोदय हमारे द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्री राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी सुनरख बाँगर वृन्दावन को विहार आवासीय योजना सुनरख बाँगर के माध्यम से किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था आपके द्वारा दिनांक 02.03.12 को हमारी सीवर लाइन को संयोजित करने के अनुरूप व्यवस्था करने हेतु आपने अपनी अभियन्त्रण इकाई को आदेशित किया था ।

उक्त के संदर्भ में कहना है कि प्रार्थी के संज्ञान में आया है कि आपकी इकाई द्वारा सर्वेक्षण कर लिया गया है । आपके सर्वेक्षण के बाद हमारी कॉलोनी का भी सर्वेक्षण प्लॉन हो चुका है तथा दोनों को लेवलिंग प्लॉन का मानचित्र निर्मित हो गया है ।

अतः आपसे निवेदन है श्री राधा फ्लोरेन्स की सीवर लाइन को रूकमणी विहार की सीवर लाइन में एक बिन्दू पर संयोजित करने का आदेश पारित कर अनुग्रहीत करने की कृपा करे ।

धन्यवाद ।

CE/EE

आज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ।

आपसे प्रिया विनम्र

उक्त/कीमती हार्थ बिन्दु

के सापेक्ष in next level

आर RL provide करें

एक एक बिन्दु पर निमाडित

संयोजित दिनांक 17/3/12

भवदीय,

सुरेश चन्द्र कौशिक,

डायरेक्टर,

श्रीगुप मथुरा ।

दिनांक 09.03.12

Prashant P.K. Gupta

17/3/12
P.K.

AE (DS)

EE

7.3.12

CE

17/3/12

EE





Flouance

मथुरा विकास प्राधिकरण, मथुरा

प्रथम किस्त से पूर्व की गयी माँग व जमा का विवरण

योजना	BDC OF APPROVED COLONY- E95				
कोड	E95/136	नाम	SUDBEP AGRAWAL		
सम्पत्ति संख्या	MAP104/V	मूलधन	₹ 7170946		
भूमि मूल्य	₹ 7437571	सामान्य ब्याज	0 %		
भवन मूल्य	₹ 0	किस्त धनराशि	₹ 1377778	आरंभ में विलम्ब ब्याज	18 %
कुल मूल्य	₹ 8266668	किस्तों की सं०	6	टाइप	
INSTL. means INSTALLMENT AMOUNT		INTT. means INTEREST AMOUNT		(-) Minus Sign Denotes ADVANCE	

DATE	PAID	HEAD	OPENING INSTL.	CURRENT INSTL.	DELAY IN DAYS	CURRENT PERCENT INSTL.	BALANCE
03/01/2011	200000.00	REG. AMOUNT	0.00	200000.00	0	0.00	0.00
20/09/2011	236866.00		0.00	0.00	260	0.00	-236866.00
22/09/2011	0.00	EXTRA LAND CHARGES	-236866.00	228536.00	2	0.00	-8330.00
29/09/2011	0.00		-8330.00	0.00	7	0.00	-8330.00
Total	436866			428536			0

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

प्रपत्र सं० 2

क्रम सं०



2188

मुस्तक सं०

गी
बेल सं० -

श्री राधा/कलारे-स ए.स. मे.पी. व लोका लिमिटेड 11/10/19

गं रजि. नी क्र.सं.	भवन का नाम व संख्या	भुगतान का विवरण	अवधि	धनराशि			छूट यदि कोई दी गई हो
				बकाया यदि कोई हो	वर्तमान कर	रु० योग पै०	
	फ्लोर सुकभाती बिहा इ.डी.ए.ए.	खीन झीव (संयोजन)		अर्थना पत्र रु. खीन झीव संयोजन रु. 50 गडडी/संयोजन रु. 2000 अर्थना 60 रु.	05- 50- 12000 -	05- 50- 12000 -	

ग शब्दों में 12055- 12055-

नांक 25-8-23

कड़िया
खा अधिकारी/राजस्व अधीक्षकनगर आयुक्त
जांच और समाहरण रजिस्टर
प्रभारी लिपिक

ध्यानी :- 1. अनुज्ञप्ति (लाइसेन्सों) की दशा में रसीद अनुज्ञप्ति के स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती और यह नगर निगम अनुज्ञप्ति अस्वीकार कर देने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती।
2. अवैधानिक निर्माण के गिराये जाने हेतु निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।



मथुरा विकास प्राधिकरण, मथुरा

अन्तिम लेखा

योजना	EDC OF APPROVED COLONY- E95				
कोड	E95/136	नाम	SUDEEP AGRAWAL		
सम्पत्ति संख्या	MAP104/V	मूलधन	₹ 7170946		
भूमि मूल्य	₹ 7437571	सामान्य ब्याज	0%		
भवन मूल्य	₹ 0	किस्त धनराशि	₹ 1377778	आरंभ में विलम्ब ब्याज	18%
कुल मूल्य	₹ 8266668	किस्तों की सं०	6	टाइप	
INSTL. means INSTALLMENT AMOUNT	INTT. means INTEREST AMOUNT		(-) Minus Sign Denotes ADVANCE		

DATE	PAID	DEAD	OPENING INSTL.	OPENING PAYM INTT.	CURRENT INSTL.	DELAYS IN DAYS	CURRENT PENAL INTT.	AMOUNT INSTL.	AMOUNT OF ADVANCE PAID	CURRENT BALANCE
30/09/2011	0.00	DUE	-8330.00	0.00	1377778.00	0	0.00	1369448.00	0.00	0.0
31/03/2012	0.00	DUE	1369448.00	0.00	1377778.00	183	123587.99	2747226.00	0.00	123587.9
13/04/2012	250000.00		2747226.00	123587.99	0.00	13	17612.35	2638426.35	0.00	0.0
13/04/2012	250000.00		2638426.35	0.00	0.00	0	0.00	2388426.35	0.00	0.0
13/04/2012	250000.00		2388426.35	0.00	0.00	0	0.00	2138426.35	0.00	0.0
13/04/2012	250000.00		2138426.35	0.00	0.00	0	0.00	1888426.35	0.00	0.0
13/04/2012	250000.00		1888426.35	0.00	0.00	0	0.00	1638426.35	0.00	0.0
21/04/2012	250000.00		1638426.35	0.00	0.00	8	6463.93	1394890.28	0.00	0.0
21/04/2012	250000.00		1394890.28	0.00	0.00	0	0.00	1144890.28	0.00	0.0
21/04/2012	250000.00		1144890.28	0.00	0.00	0	0.00	894890.28	0.00	0.0
21/04/2012	250000.00		894890.28	0.00	0.00	0	0.00	644890.28	0.00	0.0
21/04/2012	250000.00		644890.28	0.00	0.00	0	0.00	394890.28	0.00	0.0
21/04/2012	255556.00		394890.28	0.00	0.00	0	0.00	139334.28	0.00	0.0
01/05/2012	126498.00		139334.28	0.00	0.00	10	687.13	13523.41	0.00	0.0
30/09/2012	0.00	DUE	13523.41	0.00	1377778.00	152	1013.70	1391301.41	0.00	1013.7
09/01/2013	500000.00		1391301.41	1013.70	0.00	101	69298.25	961613.36	0.00	0.0
15/01/2013	500000.00		961613.36	0.00	0.00	6	2845.32	464458.68	0.00	0.0
15/01/2013	589946.00		464458.68	0.00	0.00	0	0.00	-125487.32	0.00	0.0
31/03/2013	0.00	DUE	-125487.32	0.00	1377778.00	75	0.00	1252290.68	0.00	0.0
30/09/2013	0.00	DUE	1252290.68	0.00	1377778.00	183	113014.95	2630068.68	0.00	113014.9
31/03/2014	0.00	DUE	2630068.68	113014.95	1377778.00	182	236057.67	4007846.68	0.00	349072.6
12/03/2018	1250000.00		4007846.68	349072.62	0.00	1442	2850073.11	4007846.68	0.00	1949145.7
31/03/2018	720110.00		4007846.68	1949145.72	0.00	19	37552.97	4007846.68	0.00	1266588.7
05/08/2022	1000000.00		4007846.68	1266588.70	0.00	1588	3138638.07	4007846.68	0.00	3405226.7
06/08/2022	1000000.00		4007846.68	3405226.77	0.00	1	1976.47	4007846.68	0.00	2407203.2
09/08/2022	800000.00		4007846.68	2407203.24	0.00	3	5929.42	4007846.68	0.00	1613132.6
02/09/2022	1000000.00		4007846.68	1613132.66	0.00	24	47435.34	4007846.68	0.00	660567.9
08/09/2022	1000000.00		4007846.68	660567.99	0.00	6	11858.83	4007846.68	0.00	572426.8

171

03/10/2022	1000000.00		4007846.68	572426.83	80.00	25	49411.81	3629685.31	0.00	0.0
10/10/2022	725000.00		3629685.31	0.00	0.00	7	12529.87	2917215.18	0.00	0.0
29/03/2023	200000.00		2917215.18	0.00	0.00	170	244566.53	2917215.18	0.00	44566.5
31/03/2023	1300000.00		2917215.18	44566.53	0.00	2	2877.25	1664658.97	0.00	0.0
19/04/2023	1000000.00		1664658.97	0.00	0.00	19	15597.63	680256.60	0.00	0.0
21/04/2023	500000.00		680256.60	0.00	0.00	2	670.94	180927.54	0.00	0.0
09/06/2023	200000.00		180927.54	0.00	0.00	49	4372.00	-14700.46	0.00	0.0
31/08/2023	0.00		-14700.46	0.00	0.00	83	0.00	-14700.46	0.00	0.0
Total	15267110				8266608					

देय किस्त व विलम्ब व्याज	₹ -14700.46
शोध मूलधन	₹ 0
शुद्ध देय	₹ -14700.46
व्याज	₹ 0
कुल देय 31/08/2023	₹ -14700.46

Ramu Purohit

TC

कार्यालय: मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

प्रेषक

उपाध्यक्ष,
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा ।

सेवा में

आयुक्त,
आगरा मण्डल,
आगरा ।

पत्र संख्या:- 1473 /म.वृ.वि.प्रा./2021-22

दिनांक:- 09 नवम्बर, 2021

विषय:- कॉलोनियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया अवगत कराना है कि मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा स्वीकृत एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित 83 कॉलोनियों का संयुक्त निरीक्षण प्राधिकरण के अभियन्ताओं एवं नगर निगम के अभियन्ताओं द्वारा किया गया। इन कॉलोनियों में सड़क, सीवर, जलपूर्ति, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, नाला एवं नाली, पार्क, ट्यूबवैल, ओवरहैड टैंक आदि समस्त अवस्थापना सम्बन्धी सेवाओं को दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन को हस्तगत किया गया। समस्त 83 कॉलोनियों की सूची पत्र के साथ सादर अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नगेन्द्र प्रताप)
उपाध्यक्ष












संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा को हस्तान्तरण प्रपत्रों की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपाध्यक्ष

हस्तान्तरण प्रपत्र

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा स्वीकृत एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित 83 कॉलोनियों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के अभियन्ताओं द्वारा किया गया, जिनकी सूची एवं स्थलीय विवरण प्रपत्र के साथ संलग्न है। इन कॉलोनियों की सड़क, सीवर, जलापूर्ति, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, नाला एवं नाली, पार्क, ट्यूबवैल, ओवर हैड टैंक आदि समस्त अवस्थापना सम्बन्धी सेवाएँ को आज दिनांक 01.11.2021 को नगर निगम मथुरा-वृन्दावन द्वारा हस्तगत लिया गया।















(काशालेन्द्र चौधरी)
 अधिशासी अभियन्ता,
 म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा


सहायक अभियन्ता

नरेश किशोर
 सहायक अभियन्ता (जल)
 नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

(एस० पी० मिश्रा)
 अधिशासी अभियन्ता
 नगर निगम मथुरा-वृन्दावन


 1.11.2021
 सचिव
 मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
 मथुरा प्रतिहस्ताक्षरित


 उपस्थित
 मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
 मथुरा


 8.11.2021
 नगर आयुक्त
 नगर निगम मथुरा-वृन्दावन
 मथुरा

संयुक्त स्थल निरीक्षण आख्या					
क्र०सं०	कालोनी का नाम	विन्यास मानचित्र संख्या स्वीकृति दिनांक सहित	खसरा संख्या व ग्राम का नाम	टिप्पणी	Sector
1	कुसुम वाटिका कालोनी	165/M 26-08-03	श्री देवीदास पुत्र नरसीदास, डायरेक्टर मै० नरसी आयरन एण्ड स्टील प्रा० लि०, ख०नं० 295, 301, 302, 204, 305 एवं 306 मौजा गाविन्दपुर मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	6
2	कुसुम वाटिका विस्तार	423/M/ 21-02-2004	श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री बिहारी लाल अग्रवाल, गाटा संख्या 417, 418, 419 व 420 पार्ट गोविन्दपुर, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	6
3	कुसुम वाटिका फेस-1	238/M 10-05-06	श्री देवीदास, मै० नरसी आयरन स्टील प्रा० लि०, खसरा नं० 291-वी, मौजा गोविन्दपुर, तहसील व जिला मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	6
4	राधिकाधाम,	126/M/02-03 09-10-02	श्री विजय सिंह मै० राधिका बिल्डर्स, सौख रोड, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	6
5	श्री जमुना धाम कालोनी	401/M/97-98 13-02-98	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, खसरा नं० 540, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	8
6	श्री जी धाम कालोनी	426/M 22-09-03	श्री कैलाश चन्द्र आदि ख०नं० 345, 344 पार्ट, मौजा बाकलपुर, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	8
7	बल्लभ कुन्ज कालोनी	473/M 16-03-01 30-08-03	श्री सतीश अग्रवाल आदि पुत्र श्री बालकिशन, खसरा नं० 354, पालीखेड़ा, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	8
8	बल्लभ कुन्ज विस्तार	125/M 03-05-03	श्री अशोक कुमार टेंटीवाल आदि, खसरा संख्या- 105, 108 एवं 109, मौजा महौली, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

9	आनन्द लोक कालौनी	324/M/01-02 12-08-02	श्री राकेश मिश्रा आदि नीलपदम बिल्डर्स प्रॉलि0, खसरा नं0 186, 187, 191 मौजा-गिरधरपुर, मथुरा ।	प्राधिकरण द्वारा सडक का आगणन तैयार कर दिया गया है इसका कार्य कराया जाना है ।	8
10	आनन्द लोक विस्तार	410/M/ 28-07-03	श्री राकेश मिश्रा आदि नीलपदम बिल्डर्स प्रॉलि0, खसरा नं0 186, 187, 191, 184, 183, मौजा-गिरधरपुर, मथुरा ।		8
11	नरसी बिहार सिटी	127/M/17-18 04-12-07 10-10-12 26-02-13	श्री देवीदास गर्ग पुत्र श्री नरसिंह दास, ख0नं0 65 पार्ट, 66 से 71, 72, 74, 223, 226, 236 पार्ट, सोख रोड, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8
12	लाजपत नगर,	2946/M 05-11-1985	श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी, महोली रोड, मथुरा ।	आन्तरिक विकास कार्य सडक, नाली इत्यादि का कार्य कराया जा रहा है ।	8
13	अपना नगर,	154/M/98 08-09-98	कृष्ण चन्द्र अग्रवाल, खसरा नं0 66, महोली रोड, मथुरा ।	आन्तरिक विकास कार्य सडक, नाली इत्यादि का कार्य कराया जा रहा है ।	8
14	बल्लभकुंज फेस-2,	333/M/05-06 12-06-06 31-08-10	श्री पंचम सिंह, मौजा-पालीखेडा, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8
15	श्री जी शिवाशा एस्टेट	239/M/09-10 29-01-10 11-10-10 21-01-11 27-05-11	श्री अशोक गोयल पुत्र श्री निरंजन गोयल, खसरा नं0 936, मोजा-सतोहा, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8
16	बैकुण्ठ धाम कालोनी	115/M/10-11 29-11-10	श्री गीतम सिंह आदि पुत्र श्री शिवराम सिंह, खसरा नं0 107 व 108, मौजा-पालीखेडा, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8
17	बल्लभकुंज फेस-3	246/M/10-11 29-11-10	श्री राजपाल सिंह आदि पुत्र श्री शिवराम सिंह, खसरा नं0 332, मौजा-पालीखेडा, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8
18	पुष्पाजलि श्रद्धा एन्कलेव	268/M/10-11 30-09-10 27-02-13	श्री मयंक अग्रवाल पुत्र श्री बी0डी0 अग्रवाल, खसरा नं0 126, मौजा महोली, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8

Shankar

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

19	मधु एन्कलेव कालौनी	109/M/11-12 02-11-11 11-01-13	श्री तेजवीर सिंह आदि पुत्र श्री केवल सिंह, खसरा नं0 215, 216, मौजा पालीखेडा, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8
20	महाराजा एस्टेट	578/M/12-13 11-03-13	श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह आदि पुत्र श्री महाराज सिंह, खसरा नं0 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, मौजा गिरधरपुर, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8
21	संगम बिहार	518/M/14-15 30-04-15	बी0एस0आर0 इन्फ्रा डवलपर्स पार्टनर श्री विपिन अग्रवाल आदि पुत्र श्री सतीश चन्द अग्रवाल, खसरा नं0 171, 172, 174 व 175, मौजा गिरधरपुर, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8
22	सी0डी0एस0 नगर,	27/M/02-03 29-07-02	श्री आदित्य चौधरी, पन्नापुर, ख0नं0 15, महोली रोड, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	6
23	आनन्द धाम,	149/M 19.12.2002	श्री देवेन्द्र कुमार शाह, इन्कम टैक्स आफिस के पीछे, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	6
24	गुरू कृपा धाम	55/M/15-16 22-07-15	सिंघल बन्धु रियल एस्टेट डवलपर्स प्रा0लि0, डायरेक्टर, श्री रवि अग्रवाल, खसरा नं0 59/2 व 59/3, मौजा सराय आजमबाद, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	6
25	मधुवन विहार कालौनी	64/M/ 06-07-04	श्री शेखर गोयल आदि पुत्र श्री विहारी लाल, ख0नं0 249, मौजा महोली, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8
26	मधुवन वाटिका कालौनी	393/M 04-03-04	श्री निरूपम दयाल अग्रवाल पुत्र श्री चौखेलाल अग्रवाल, ख0नं0 273,274 एवं 275, मौजा महोली, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8
27	राधिका सिटी कालोनी	349/M/08-09 21-07-09	श्रीमती शैली शाह पत्नी श्री देवेन्द्र शाह खसरा नं0 380, 381, 382 व 397-पार्ट, मौजा-महोली, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

28	वशिष्ठ नगर	123/M/09-10 17-06-10	श्री देवेन्द्र शाह पुत्र श्री श्याम कुमार शाह, खसरा नं० 266, मोजा-पालीखेडा, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं ।	8
29	नगर पंचवटी कालौनी	211/M/04-05 02-11-04 26-07-11	श्री सन्तोष कुमार आदि पुत्र देवीदास, ख०नं० 293, 294, 355, 358, 607 पार्ट, जयसिंहपुरा बाँगर, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं ।	1
30	नगर पंचवटी विस्तार कालौनी	278/M 15-11-03 18-11-05	श्री सन्तोष कुमार गर्ग आदि पुत्र श्री देवीराम, ख०नं० 358, 357-पार्ट, जयसिंहपुरा, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं ।	1
31	नरसी विलेज कालौनी	375/M/09-10 13-01-10	श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री देवीदास गर्ग, मै० नरसी रिफाइनरी प्रा०लि०, खसरा नं० 137 व 138, जयसिंहपुरा बांगर, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं ।	1
32	राधा आर्चेड कालौनी	176/M/04-05 30-12-04	श्री सुदीप अग्रवाल पार्टनर, मै० एस०जे०पी० गिलोवल, ख०नं० 265, 266, 275, 276, 282, मौजा जयसिंहपुरा, बाईपास मसानी रोड, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं ।	1
33	राधा आर्चिड विस्तार	14/M/08-09 19-06-08 11-03-11	श्री सुदीप कुमार अग्रवाल, मै० एस०जे०पी० रियल एस्टेट प्रा० लि०, खसरा नं० 283, 284, 285, मौजा जयसिंहपुरा, बांगर, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं ।	1
34	पुष्पार्जलि बैकुण्ठ टाउनशिप सेक्टर-1	134/V 06-03-06	श्री रामकिशन अग्रवाल, मै० वसेरा विल्डर्स, ख०नं० 263 से 267, 297, 317 से 319, 321, 335, 341 से 345, मौजा तेहरा, वृन्दावन।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं ।	1
35	पुष्पार्जलि बैकुण्ठ टाउनशिप सेक्टर-2	135/V 13-03-06	श्री रामकिशन अग्रवाल, मै० वसेरा विल्डर्स, ख०नं० 174, 176 से 179 से 191 मौजा तेहरा वृन्दावन ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं ।	1

36	कान्हा माखन वाटिका कालौनी	218/V 09-12-05	श्री अनिल अग्रवाल आदि पुत्र श्री गौरी शंकर, ख0नं0 159 से 161 एवं 163, मौजा तेहरा बाँगर, वृन्दावन।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	1
37	आश्रम बिहार	113/V/07-08 11-12-07 07-08-09	श्री कपिल देव आदि, मै0 नन्दन कान्हा डवलपर्स, 1030, 1032, 1033, 1034, 1049, 1050, 1256 व 1257 मौजा सुनरख बांगर, वृन्दावन ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	1
38	बसेरा बैकुण्ठ	189/V/08-09 12-07-10	श्री रामकिशन अग्रवाल पुत्र श्री जयन्ती प्रसाद अग्रवाल, खसरा नं0 304, 313, 314, मौजा-तेहरा, वृन्दावन।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	1
39	हरे कृष्णा गार्डन कालौनी	240/V/06-07 24-07-08	श्री रामकिशन अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जयन्ती प्रसाद अग्रवाल, खसरा नं0 1104 व 1105, मौजा सुनरख बांगर, वृन्दावन ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	1
40	शिवबालानाथ नगर,	23/V/01 27-07-02	श्रीमती झरना शाह, मौजा जयसिंहपुरा, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	1
41	श्री राधा फ्लोरेन्स वृन्दावन	104/V/10-11 10-05-11 22-09-11 15-05-12	श्री सुदीप अग्रवाल पुत्र श्री जमुना प्रसाद, ख0 नं0 844, 845, 846, 847, 850, 851, 867, 868, 869, 870 व 871, मौजा सुनरख बांगर, वृन्दावन।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	1
42	आनन्द वाटिका कालौनी	41/V 31-07-01 30-01-03 06-10-04	मै0 शाह विल्डर्स आदि, ख0नं0 273, 275, 276, 278, 279, वृन्दावन बाँगर, वृन्दावन ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	2
43	आनन्द वाटिका एक्सटेंशन कालौनी	187/V 27-02-04 11-01-05	मै0 सहयोगी विल्डवेल प्रा0 लि0 श्रीमती रागनी शाह पुत्री श्री श्याम कुमार शाह, ख0नं0 279-पार्ट, 280, 281, एवं 282-पार्ट, वृन्दावन बाँगर, वृन्दावन ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	2

44	गिराज नगर कालौनी	141/V 24-01-04	श्री राजेन्द्र कुमार आदि पुत्र श्री बैजनाथ, ख0नं0 108, 111 से 123, राजपुर बांगर, वृन्दावन।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	2
45	मयूर बिहार	131/V/2000 06-03-2000	श्री रामवीर सिंह आदि पुत्र श्री हरिख्याल सिंह, खसरा नं 592, 593, 569 व 597, मौजा राजपुर बांगर, वृन्दावन।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	2
46	श्री जी एवलोन	36/V/10-11 13.05.10	श्रीमती विशाखा गोयल आदि पत्नी श्री राम जी गोयल, ख0नं0 1260, 1261 व 1262, मौजा सुनरख बांगर, वृन्दावन।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	1
47	श्री कृष्ण शरणम	230/V/ 10-11 31.01.11	श्री संदीप अरोडा पुत्र श्री कृष्ण कुमार अरोडा, खसरा नं0 1007, 1292, मौजा सुनरख बांगर, वृन्दावन।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	1
48	हरेकृष्णा आर्चर्ड	266/V/ 10-11 21.04.11 24.08.13 08.03.17	श्री आर0सी0 गोयल डायरेक्टर एक्सप्रेस टावर प्रा0लि0, खसरा नं0 1182, 1183, 1159 व 1160 मौजा सुनरख बांगर, वृन्दावन।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	1
49	कृष्णा वैली	30/K/09-10 29-12-10 08.06.11 04.05.19	हाई-व्यू कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, खसरा नं0 714/1, 692, 693, 694 व 715, मौजा जैत, मथुरा दिल्ली रोड, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	12
50	राधा माधव नगर कालौनी	253/M 07-01-05 22-01-05	श्री डालचन्द्र शर्मा मु0 श्री ओमप्रकाश भार्गव, चैयरमैन राधा माधव ट्रस्ट, खसरा संख्या- 56, 8, सिविल लाइन्स, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	4
51	कलाकुन्ज कालौनी,	40/M/86	मौजा मथुरा बांगर, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	4
52	आचार्य नगर,	119/M/96 19-09-96	श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, खसरा नं0 9, 10 व 11 मौजा औरंगाबाद मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	4

53	आचार्य नगर विस्तार,	126/M 01-07-2000 29-07-2002	श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, औरंगाबाद मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है।	4
54	श्री जी गार्डन कालोनी	505/M 28-04-05	श्री अशोक कुमार वेरीवाल, पुत्र श्री निरंजन लाल वेरीवाल, ख0नं0 275, 276, 277 280, मथुरा बाँगर, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है।	9
55	श्री जी गार्डन-2	242/M/ 28-05-07 02-06-07	श्री अशोक गोयल, ख0नं0 233, 239, 246, 247 बाकलपुर, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है।	9
56	श्री नाथ अपार्टमेन्ट	563/M/10-11 30-04-11	श्री मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र श्री लाडली प्रसाद, खसरा नं0 842, 843, 854, 860, 862 व 863, मौजा गनेशारा, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है।	9
57	टैकमैन सिटी कालोनी	276/M 19-01-06	श्री नीरव निमेष आदि, मै0 टैकमैन बिल्डवेल प्रा0लि0, ख0नं0 60, 61, 63, 64 एवं 67, मौजा नबादा मथुरा।	विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।	7
58	टैकमैन सिटी कालोनी प्रथम चरण	429/M 09-05-06	श्री नीरव निमेष आदि, मै0 टैकमैन बिल्डवेल प्रा0लि0, ख0नं0 64, 71 एवं 131, मौजा विरजापुर एवं नबादा मथुरा।	विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।	7
59	टैकमैन सिटी-फैस-2	474/M/06-07 06-11-07 09-07-08	श्री दुर्गा प्रसाद, श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, मै0 टैकमैन विल्डवेल प्रा0लि0, एन0एच0-2, ग्राम नवादा ख0नं0 69, 71, 72, 75, 76 एवं 104, मथुरा।	विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।	7
60	टैकमैन सिटी-फैस-3	475/M/06-07 07-11-07 09-07-08	श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, श्री दुर्गा प्रसाद, मै0 टैकमैन विल्डवेल प्रा0लि0, एन0एच0-2, ग्राम नवादा ख0नं0 74, 75, 76, 105, 106, 107 एवं 108, मथुरा।	विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।	7
61	टैकमैन सिटी फैस-4	508/M/10-11 09-10-13	श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल (डायरेक्टर) टैकमैन बिल्डवेल प्रा0लि0, खसरा नं0 72, 73, व 74, मौजा नवादा, मथुरा।	विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।	7

62	टेकमेन सिटी फेस-5	515/M/10-11 11-01-11	श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नन्मूल अग्रवाल, डायरेक्टर टेकमेन बिल्डवेल प्रा0लि0, खसरा नं0 313, 316, 317, मौजा बिर्जापुर, मथुरा ।	विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।	7
63	श्री राधा टाउन,	170/M/07-08 07-11-07 26-04-11	श्री सुदीप कुमार अग्रवाल, मै0 एस0जे0पी0 ग्लोवल, ख0 नं0 1467 से 1469-पार्ट, 1475, 1476, 1477 से 1479-पार्ट, 1480 से 1490, 1503, 1504, 1518 से 1524, 1525-पार्ट, 1527 एवं 1528, मौजा बाद, जिला-मथुरा ।	विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।	7
64	एन0एम0 रेजीडेन्सी	09/M/18-19 10-10-18	टैकमैन विल्डवैल प्रा0 लि0 डायरेक्टर श्री विभोर अग्रवाल आदि पुत्र श्री विनोद कुमार अग्रवाल खसरा नं0 313 ग्राम विरजापुर तह0 व जिला मथुरा ।	विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।	7
65	श्री राधापुरम् कालौनी	53/M/02-03 26-07-02 10-09-03 01-04-04	ख0नं0 96 लगायत 105 एवं ख0नं0 138/1 व 141 लगायत 149 व 163 लगायत 166, 159, 160 167, 168, 169, 115-अ, 116-अ, 122, 123, 124, 125-अ, 126-अ, 27, 131, से 137, 139, 140, 91, 95, 106, 104, 108, 109, 118, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88 मि0, 90-अ, 92, 93मि0 94, 82मि0, 83मि0, 84मि0. 85, 86, 87, 88मि0 एवं 93, मौजा कैशोपुर मनोहरपुर, मथुरा ।	इस कालौनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं ।	9

The bottom section of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Shankar' followed by another signature. In the center, there are initials 'R' and 'Ac'. To the right, there are more signatures, including one that looks like 'Hi' and another that is partially obscured. There are also some small marks and scribbles scattered around the signatures.

66	श्री राधापुरम् एस्टेट कालौनी	168/M/04-05 06-07-2004	श्री सुदीप अग्रवाल मै0 एस0जे0पी0 रेजीडेन्सी प्रा0लि0, ख0नं0 400, 401, 403, 406, 410 से 423, 440 से 443, 446 से 448, 450 से 452 454, 455, 469 से 479, 482, 483, 486 से 530, 532, 533, 536, 542, 544 से 551 जैन चौरासी के सामने, गनेशारा, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	9
67	मोती कुंज एक्सटेशन,	7088/89 22-12-89	कर्मयोगी गुप, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	9
68	चन्दनवन फेस-2,	289/M 24-02-2000	मौजा बिर्जापुर, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	9
69	मोती इन्कलेव कालौनी	429/M 03-09-03 02-06-07	श्री नीरव निवेश, टैकमेन विल्डवेल प्रा0लि0, ख0नं0 32, 34, 35, 36, 163 औरंगाबाद, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	9
70	गोविन्द बिहार कालौनी	279/M 06-12-2003	श्री कौशल किशोर पुत्र श्री छवीलदास आदि, गोविन्दपुर, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	6
71	कलैक्ट्रेट कालोनी,		कलैक्ट्रेट सहकारी कर्मचारी समिति, मौजा सराय आजमाबाद, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	6
72	जमुनाधाम कालौनी विस्तार	27/M 07-04-04	मै0 एस.जे.पी. इण्डिया एसो0, श्री सुदीप कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री जमुना प्रसाद, ख0नं0 540, गोवर्धन चौराहा, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	6
73	सुख-छाँव कालौनी	385/M/05-06 15-06-06	श्री राकेश मिश्रा, श्री नरेन्द्र सिंह मै0 नीलपद्म बिल्डर्स प्रा0लि0, ख0नं0 184 एवं 183, मौ0 गिरधरपुर, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8
74	नरसी बिहार फेस-द्वितीय	400/M/06-07 27-11-07	श्री देवीदास, मै0 नरसी अपार्टमेन्ट प्रा0लि0, खसरा नं0 227, 228, 230, 235 व 236-पार्ट मौजा गिरधरपुर, मथुरा ।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8

Shank
h.i.d
Wale

Rev
Ac
B
hp

[Handwritten signatures]

9

h

75	वसुन्धरा व्यू	200/M/08-09 05-02-09 09-04-10	श्री राधेश्याम पुत्र श्री सौदान सिंह, खसरा नं0 229, 230, 231, 232, मौजा-गिरधरपुर, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	8
76	वसुन्धरा पंचशील	468/M/10-11 29-12-10	श्री प्रेम सिंह पुत्र स्व0 श्री राम सिंह, (बसुन्धरा रियल एस्टेट) खसरा नं0 382, 383, 384, मौजा गिरधरपुर, गोवर्धन रोड, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	8
77	कालिन्दी ग्रीन	680/M/12-13 15-12-15	कल्पतरू बिल्डटेक कारपोरेशन लि0, अधिकृत प्रतिनिधि, श्री निर्दोष कुमार आदि पुत्र श्री मदनपाल सिंह, खसरा नं0 210(पार्ट), 211(पार्ट) व 222, मौजा महोली, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	8
78	निधिवन रेजीडेन्सी	320/M/15-16 15-07-16	चेतन बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0, डायरेक्टर, श्री चेतन मलिक, खसरा नं0 689, 701 व 704, मौजा गणेशारा, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	8
79	माधवुरी एक्सटेशन,	2761/M	श्री कृष्ण दयाल अग्रवाल, महोली रोड मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	6
80	आनन्द सिटी	10/M/16-17 01-06-07	मै0 शाह बिल्डर्स प्रा0 लि0, देवेन्द्र शाह, खसरा नं0 270, पालीखेडा, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	8
81	पुष्पाजलि उपवन सेक्टर-01	327/M/06-07 29-05-07	पी0पी0 बिल्डकॉन प्रा0लि0, मयंक अग्रवाल, ख0नं0 246, 347, 348, 355, 356, मौजा पालीखेडा एवं महोली, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	8
82	पुष्पाजलि उपवन सेक्टर-02	491/M/06-07 02-06-07	पी0पी0 बिल्डकॉन प्रा0लि0, मयंक अग्रवाल, ख0नं0 125, 130, 131, 346, 350, 351, 352, 356, मौजा पालीखेडा एवं महोली, मथुरा।	इस कालोनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे हैं।	8

83	मुरलीधाम कालौनी	513/M/10-11 18-01-11 24-06-11	श्री मुरलीधर डवलपर्स मैनेजर श्री धमेन्द्र शर्मा, खसरा नं० 696, 697, 698, 692, मौजा सतोहा असगरपुर, मथुरा ।	इस कालौनी में सभी विकास कार्य पूर्ण है, जिसमें आवंटी निवास कर रहे है ।	8
----	-----------------	-------------------------------------	---	---	---

Om

LiD B My

Res
AC

Q
(कौशलेन्द्र चौधरी)

अधिशारी अभियन्ता,

सहायक अभियन्ता

AP AP AP

AP

h

Ramu Purohit

TC

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. OF 2023

435

VAKALATNAMA**IN RE: -**

Jasbir Singh

VERSUS

Applicant

Respondents

State of U.P. & Ors.

KNOW ALL to whom these presents shall come that I / We DEEPAK SINGHAL, authorized representative of SPJ Global Limited the above named Respondent do hereby appoint Mr. Samaksh Goyal, Ms. Aditi Dani, Ms. Ranu Purohit and Mr. Rohit Rathi,

ADVOCATES

(hereinafter called the Advocate/s) to be my/our Advocate in the above-noted case authorise them:-

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in Court in Which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court Subject to payment of fees separately for each court by me/us.

To sign, file verify and present pleadings appeals cross-objection or petitions for execution review, revision withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages. To file and take back documents to admit and / or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration and difference or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case. To take execution proceedings.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner, authorising him to exercise the power and authority hereby conferred upon the advocate whenever he may think fit to do so and to sign the Power of Attorney on our behalf.

And I / We the / undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my / our own acts, as if done by me / us for all intents and purposes.

And I / We undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me / us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up.

IN WITNESS WHEREOF I / We do hereunto set my / our hand to these present the contents or which have been understood by me/ us on this ...29th ...day of December , 2023.

Accepted subject to the terms of fees & Identified

SPJ Global Ltd.

Client

Advocate(s)

Mr. Samaksh Goyal (D/729/2011)

Ms. Aditi Dani (MAH/1659/2013) Aditi Dani

Ms. Ranu Purohit (D/1483/2014) Ranu Purohit

Mr. Rohit Rathi (MAH/1989/2013) R. Rathi

Advocates for the Respondent No. 7

A 405, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi 110024Email: office.ssgoyal@gmail.com, adv.ranupurohit@gmail.com

(M): +91 9560028080, 9560457997

REGD. OFF.:- 111, SHRI JAMUNA DHAM, GOVERDHAN ROAD, MATHURA-281004
E-mail info@shrigroup.net www.shrigroup.net
CIN-U70102UP2010PLC040335

CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED IN MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SJP GLOBAL LIMITED HELD ON MONDAY 20TH NOVEMBER 2023 AT 111, SHRI JAMUNA DHAM, GOVERDHAN ROAD- MATHURA, UTTAR PRADESH

Delegation of Authority to Mr. Deepak Singhal


“RESOLVED THAT Mr. Deepak Singhal S/o Shri Devendra Kumar R/o Annx-22, Krishna Orchid, Goverdhan Road, Mathura be and is hereby authorized to make, execute and sign all applications, submissions, reply and all other necessary documents with the National Green Tribunal Authority for day to day operation of the business of the company and comply with all other incidental and ancillary acts, deeds and things as may be necessary in this regard. His signature shall be sufficient authority to bind the company in all transactions made on behalf of the company.”

The Specimen Signature of Mr. Deepak Singhal is attested below:

**Certified True Copy
For SJP Global Limited**


SJP Global Ltd.

Pradeep Kumar
Authorized Signatory
Managing Director
DIN: 00430335


(Deepak Singhal)


SJP Global Ltd.
Authorized Signatory